₹ 10
www.kewalsachtimes.com
नवम्बर 2025

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

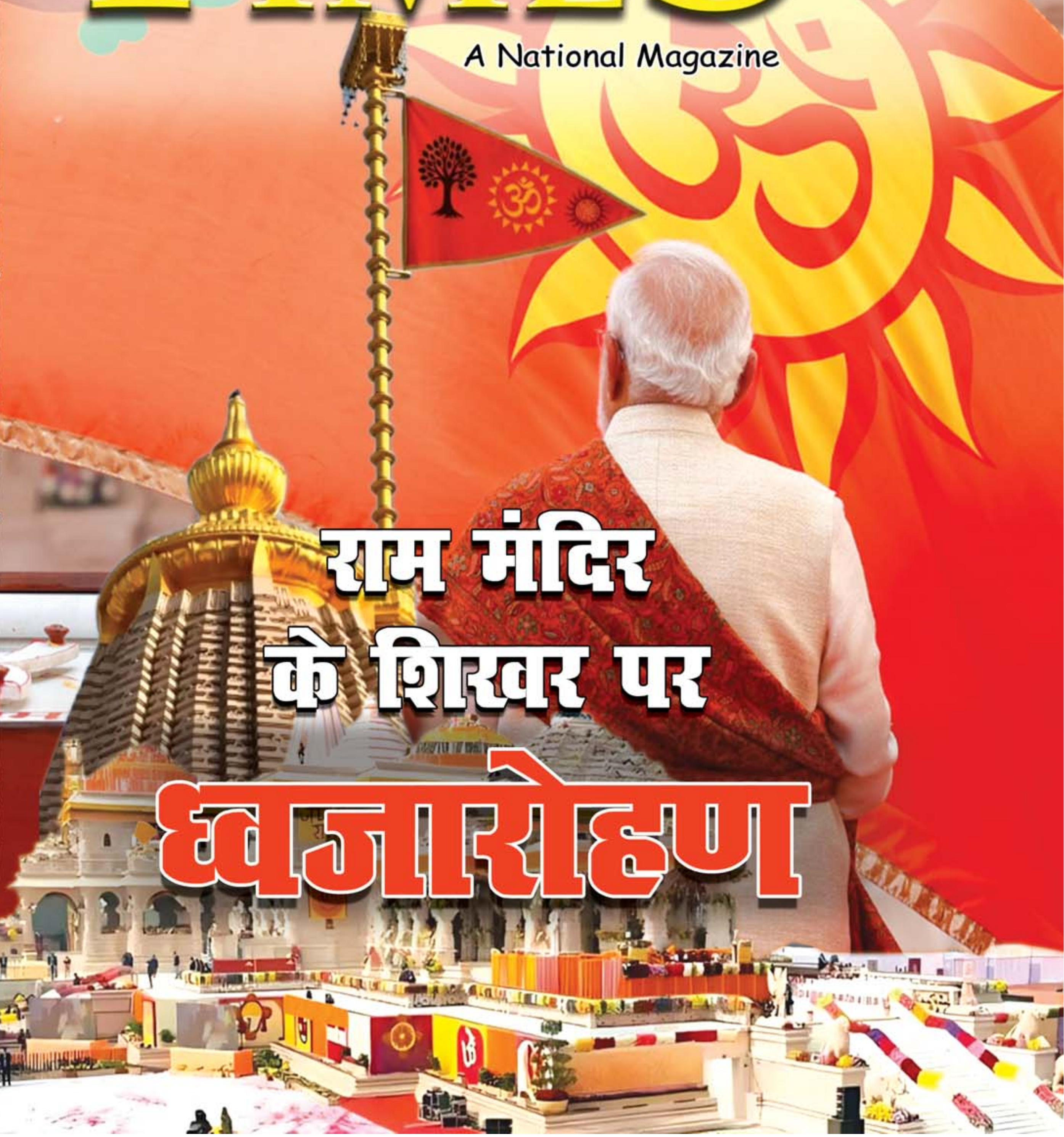

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

गुरू गोविन्द सिंह
केवल सच सम्मान-2025

Kewalsach news

दिनांक -21 दिसंबर 2025

स्थान - कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

जन-जन की आवाज है केवल सच

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

Kewalachlive.in
वेब पोर्टल न्यूज
24 घंटे आपके साथ

Kewalsach news
www.kewalsach.com
Mob.: 9431073769, 9308815605
खबर वहीं, जो केवल सच हो

केवल सच TIMES

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

BHIM UPI
G Pay पे paytm

www.kewalsach.com www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Cover Page	3,00,000/-	N/A
Back Page	1,00,000/-	65,000/-
Back Inside	90,000/-	50,000/-
Back Inner	80,000/-	50,000/-
Middle	1,40,000/-	N/A
Front Inside	90,000/-	50,000/-
Front Inner	80,000/-	50,000/-

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

उम्मीद से अलग आया परिणाम

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे ने कई राजनेताओं एवं राजनीति के पंडितों के अनुभव को भी बिहार की महिलाओं ने 10 हजार की राशि के बदले सुनामी वोट देकर अचंभित कर दिया है। भाजपा जय श्रीराम एवं माँ जानकी की राजनीति को बल दे रही थी तो राजद माय (मुस्लिम+यादव) की दुहाई दे रहे थे। प्रशांत किशोर शिक्षा, पलायन और रोजगार को मुद्दा बनाकर बिहार के सत्ता की बदलाव की बात कर रहे थे। बिहार की जनता को यह ज्ञात हुआ कि 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार बीमार हैं लेकिन चुनाव के महज चंद दिन पहले जदयू के सुप्रीमो एवं बिहार के नियमित मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने 10 हजार रूपये महिलाओं को देकर (2 लाख देकर स्वालंबी बनाने की योजना) चुनाव के अंकगणित को ऐसा पलटा की राष्ट्रीय जनता दल के साथ-साथ भाजपा भी सोचने पर मजबूर हो गयी की यह कैसे हो गया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को उसके सलाहकारों ने ऐसा कमजोर किया कि सत्ता में आना कठिन बना दिया है। सत्ता से दूर होने के साथ-साथ भाई-बहन से भी दूर हो गये और जिसको उप मुख्यमंत्री को ताज सौपने वाले थे वह अपनी भी सीट बचाने में असफल हो गया। बिहार के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया की उनका नेता औवैसी हैं तेजस्वी नहीं और यही कारण है की 5 सीट पर विजय दिलाकर मुस्लिम की पार्टी औवैसी की पार्टी बन गयी है। बिहार की जनता ने 2025 में चुनाव का वह परिणाम सामने आया जिसकी कल्पना सत्तारूढ़ दल ने भी नहीं किया होगा।

14 नवम्बर 2025 को जैसे ही मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और परिणाम सामने आने लगे तो बिहार की जनता को भी आश्चर्य होने लगा की इस प्रकार का भयंकर परिणाम कैसे आया। माय समीकरण इस प्रकार ध्वस्त होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। 2010 में भी ऐसा ही परिणाम आया था जिससे विपक्ष के लायक भी राजद नहीं बचा था। प्रशांत किशोर को जिस प्रकार का झटका लगा कि उनका मुद्दा को लोगों ने हवा में उड़ा दिया जबकि मतदान के समय ऐसा माहौल था कि जनसुराज को कम से कम 3 से 4 सीटे आयेंगी लेकिन हुआ कुछ और। विकास एवं 10 हजार रूपये के राजनीति बिसात ने सभी दांव-पेंच को दरकिनार कर दिया और एकतरफा वोट एनडीए के पक्ष में पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे ने कई राजनेताओं एवं राजनीति के पंडितों के अनुभव को भी बिहार की महिलाओं ने 10 हजार की राशि के बदले सुनामी वोट देकर अचंभित कर दिया है। भाजपा जय श्रीराम एवं माँ जानकी की राजनीति को बल दे रही थी तो राजद माय (मुस्लिम+यादव) की दुहाई दे रहे थे। प्रशांत किशोर शिक्षा, पलायन और रोजगार को मुद्दा बनाकर बिहार के सत्ता की बदलाव की बात कर रहे थे। बिहार की जनता को यह ज्ञात हुआ कि 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार बीमार हैं लेकिन चुनाव के महज चंद दिन पहले जदयू के सुप्रीमो एवं बिहार के नियमित मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने 10 हजार रूपये महिलाओं को देकर (2 लाख देकर स्वालंबी बनाने की योजना) चुनाव के अंकगणित को ऐसा पलटा की राष्ट्रीय जनता दल के साथ-साथ भाजपा भी सोचने पर मजबूर हो गयी की यह कैसे हो गया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को उसके सलाहकारों ने ऐसा कमजोर किया कि सत्ता में आना कुछ वर्षो के लिए कठिन बना दिया है। सत्ता से दूर होने के साथ-साथ भाई-बहन से भी दूर हो गये और जिसको उप मुख्यमंत्री को ताज सौपने वाले थे वह अपनी भी सीट बचाने में असफल हो गया। बिहार के मुसलमानों ने यह साबित कर दिया की उनका नेता औवैसी हैं, तेजस्वी नहीं और यही कारण है की सिमांचल के क्षेत्र में 5 सीट पर विजय दिलाकर मुस्लिम की पार्टी औवैसी की पार्टी बन गयी है। बिहार की जनता ने 2025 में चुनाव का वह परिणाम सामने आया जिसकी कल्पना सत्तारूढ़ दल ने भी नहीं किया था। बिहार में विकास हुआ है इसको इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन बिहार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। बिहार में एनडीए के तरफ से भोजपुरी के कलाकार पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ मोर्चा संभाले हुए थे जिनमें मनोज तिवारी, रवि किशन आज भी भाजपा के सांसद हैं और बिहार के गौरवशाली को इतिहास बता रहे थे और वोटरों का मिजाज अपने पक्ष में कर रहे थे वहीं दूसरी ओर छपरा से राजद के उम्मीदवार और भोजपुरी के कलाकार खेसारी लाल यादव राम मंदिर निर्माण के बजाय अस्पताल बनाने की बयानबाजी कर रहे थे। दोनों तरफ से गाना का सिलसिला ऐसा चला की देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अपने सभाओं में वह गाना गाकर जनता को सुशासन को बचाकर रखने की अपील कर रहे थे ताकि **छाती में गोली** कोई नहीं मार सके। एक तरफ **हम बिहारी हैं-संस्कारी हैं** को बाजार था तो दूसरी तरफ **छपरा का छक्का चुनी** बज रहा था। बिहार के चुनाव में शिक्षित एवं प्रदेश के लायक उम्मीदवार को अब बिहार की जनता वोट नहीं करती यह साफतौर पर जाहिर हो चुका है और यही कारण है की साफ छवि एवं ईमानदार लोग राजनीति से दूर होते जा रहे हैं और व्यापारी एवं अपराधी इस क्षेत्र में अपना रूतवा बनाने में सफल हो रहे हैं। भले ही इस बात को कोई स्वीकार करे या नहीं लेकिन बिहार में विधायक के टिकट के लिए 2 से 5 करोड़ रूपये देकर विभिन्न पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ता है। चर्चा तो यह भी है कि मंत्री बनने के लिए भी मोटी रकम देना पड़ता है। बिहार में सरकारी नौकरी एवं रोजगार से बड़ा मुद्दा 10 हजार का अचनाक से योजना ने सबके प्रयास पर पानी फेर दिया है। महागठबंधन ने वोट चोरी को मुद्दा तो बनाया और तनाब में कूदकर राहुल गाँधी ने विडिओ वायरल तो कराया लेकिन जनता का मिजाज अपने पक्ष में करने में कारगर साबित नहीं हुए है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ा झटका जनसुराज को और उससे जुडे कार्यकर्त्ताओं को लगा है। पदयात्रा के साथ-साथ बिहार की जन-बुनियादी समस्याओं को उजागर करने के साथ-साथ भाजपा एवं जदयू के बड़े नेताओं की संपत्ति को लेकर जनता के बीच भ्रष्टाचार से जुड़े नेताओं की चूल हिलाने की कोशिश करने वाले प्रशांत किशोर यह भूल गये कि जब बिहार में माय समीकरण के बाद 2010 में बिहार की जनता राजद को नकार सकती है तो उनकी कहां चलने वाली है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके पी के ने यह तो साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में जनसुराज की अपनी खास पहचान बनाने में कामयाबी मिली है। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ-साथ केन्द्र के मंत्री, कई राज्य के मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ इतनी रैली की जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन टिकट बंटवारे में ही फंसा रह गया। इस चुनाव के हैरतअंगेज परिणाम से सभी राजनीतिक दल के बीच यह चर्चा है कि यह उम्मीद से उलट परिणाम है जिससे पत्रकार भी आज तक सदमे में है।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 15, अंकः- 173 माहः- नवम्बर 2025 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय त्तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

अक्टूबर 2025

बिहार चुनाव

मिश्रा जी,

बिहार चुनाव 2025 पर अमित कुमार की खबर बड़ा होने के बाद भी पठनीय है। बिहार प्रदेश में जिस प्रकार की समस्या सबसे अधिक चुनौती पूर्ण है उससे बाहर निकलना जातिगत बंधनों के बीच कठिन कार्य है। शिक्षा एवं पलायन के साथ रोजगार के मुद्दे को पत्रकार अमित कुमार ने समीक्षात्मक रूप लिखा है। इस अंक की खबरें एक पर एक हैं। बिहार के वोटर किस मुद्दे पर वोट करेंगे यह अंतिम समय में सार्वजनिक होता है। 10 हजार महिलाओं की घोषणा की वजह से सभी विपक्षी पार्टियों को एक किनारे कर दिया है जैसा ही माहौल ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

● **प्रमोद शर्मा, टावर चौक, मुजफ्फरपुर**

आत्महत्या

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स पत्रिका के अक्टूबर 2025 अंक में ''**एडीजीपी ने क्यों की आत्महत्या**'' वाली खबर वास्तव में चिंताजनक है। यह सोचने वाली बात है की एक IPS वाई पूरन कुमार अपने ही रिवालवर से खुद को क्यों गोली मार ली? पूरन कुमार एक सख्त अधिकारी थे और अपने विभाग के छोटे-बड़े अधिकारी के टारगेट पर थे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के साथ-साथ तबादले एवं प्रमोशन की काले खेल को भी उजागर किया था। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के अधिकारी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जायेगा तो किस प्रकार अपराध पर नियंत्रण होगा। चिंताजनक खबर।

● **महेन्द्र पाल सिंह, करोल बाग, नई दिल्ली**

बंटाधार

मिश्रा जी,

मैं केवल सच टाइम्स पत्रिका नियमित पाठक हूं और इसका प्रत्येक खबर को मैं अवश्य पढ़ता हूं। अक्टूबर 2025 अंक की शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर ''**दवा उद्योग का बंटाधार**'' सही मायने में सरकार को झकझोरने वाला खबर है। डॉ राजीव सिंह रघुवंशी की पैसा कमाने की ललक ने सिस्टम को इस प्रकार बंटाधार किया है कि इसमें आम आदमी भी कहीं न कहीं प्रभावित होता है। दवा पर सरकार का नियंत्रण रहने की वजह से दवा कंपनी 10 रूपये की दवा 1 हजार में बेचती है। विकल्प नहीं रहने की वजह से लोगों को खरीदना पड़ता है। सटीक एवं उपयोगी खबर है, जिसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

● **संजय पासवान, मानपुर बाजार, गया**

कानूनी सलाह

संपादक महोदय,

केवल सच टाइम्स, पत्रिका के अक्टूबर 2025 अंक में शिवानंद गिरी जी का कानूनी सलाह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रत्येक अंक में इन्होंने पाठकों को सटीक एव उपयोगी सलाह को लिखते हैं जिससे अच्छी जानकारी मिलती है। SIR क्या है? SIR संवैधानिक या असंवैधानिक? चुनाव आयोग की शक्तियां? इन सबके विषय में संक्षिप्त लेकिन सटीक जानकारी दिया है। इस प्रकार के सलाह से प्रतियोगी छात्रों को भी जानकारी मिलती है तो राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को भी वोटरों को समझाने में सहायक साबित होते हैं। कानून की सही जानकारी इसी प्रकार देते रहें।

● **ललित उरांव, करमटोली चौक, राँची, झारखंड**

आखिरी पारी

संपादक महोदय,

राजनीतिक खबरों को पूरी प्राथमिकता के साथ बेबाक ढंग से लिखने की वजह से केवल सच टाइम्स पत्रिका का बाजार एवं विश्वास बढ़ता जा रहा है। अक्टूबर 2025 अंक में अमित कुमार की खबर ''**शिक्षा, पलायन और रोजगार आखिरी पारी, आखिरी दाव**'' में बिहार प्रदेश की मूल समस्या को राजनीति का मुद्दा बनाया गया लेकिन बिहार की महिलाओं ने मुद्दे से अलग ही अपना निर्णय लिया। हिन्दू-मुस्लिम और एसआईआर जैसे मुद्दे से अलग 10 हजार की राजनीति ने विपक्ष को नेस्तनाबूत कर दिया और प्रशांत किशोर का पलायन का मुद्दा भी गौन हो गया। यह खबर बिहार की सबसे बड़ी समस्या है लेकिन 5 साल में इसका समाधान कैसे होगा, प्रश्न ही बना हुआ है।

● **मदन सिन्हा, कुरथौल, परसा बाजार, पटना**

महालूट

ब्रजेश जी,

आपका संपादकीय वास्तव में लोगों का आंख खोलने वाला होता है। अक्टूबर 2025 के केवल सच टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित ''**नमामि गंगे प्रोजेक्ट में महालूट**'' में आपने इस परियोजना की पूरी सच्चाई को उजागर किया है। किस प्रकार गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों रूपये की भयंकर लूट हुई है और विभिन्न शहरों की सड़को नमामि गंगे के नाम पर लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री के सपने को ठेकेदार के साथ पदाधिकारी के मिलीभगत की वजह से इस परियोजना से गंगा की सफाई किस प्रकार हुआ है यह जगजाहिर हो चुका है। आपका आलेख सरकार को खुली चुनौती की तरह है। आपको प्रभु स्वस्थ्य एवं दिर्घायु रखें ताकि बेबाक लेखनी से पाठकों को जानकारी मिलती रहे।

● **कौशल यादव, यादव चौक, साहेबगंज, झारखंड**

अन्दर के पन्नों में

10

25

28

32

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक "**मगध इंटरनेशनल स्कूल**" टेकारी

" **केवल सच** " पत्रिका **एवं** " **केवल सच टाइम्स** "

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।
- A/C No. :- 20001817444
  BANK :- State Bank Of India
  IFSC Code :- SBIN0003564
  PAN No. :- AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of
"APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed
Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
Registered Under the Indian Society Act 21, 1880
East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020
Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077
E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com
Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63
APNA GHAR
Now in the State of Bihar & Jharkhand
Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your
Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence
in the lives of many Sr. Citizens.
KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN
A/C No. - 0600010202404
Bank Name - United Bank of India
IFSC Code - UTBIOKKB463
Pan No. - AAAAK9339D

आतंकी डॉक्टरों ने दहलायी दिल्ली

● संजय कुमार सिन्हा

10 नवंबर, 2025 सोमवार को लालकिला के सामने पढ़े लिखे डाक्टरों ने एक साजिश के तहत अमोनिया नाईट्रेट विस्फोट किया और उनके मकसद सिर्फ लोगों को मारना सरकार को बदनाम करना देश को अस्थिर करना उनकी योजना थी, अब जो सामने बातें खुलकर आ रही है वो तो बहुत डरावनी और खतरे से भरी हुई है,अगर देश के युवा जो अपने को मुसलमान कह कर ऐसी घिनौनी कायराना हरकत इसे हरकत कहना गलत होगी इसे घिनौनी जघन्य अपराध ही कहेगें ऐसी घटना हरकत कभी नहीं हो सकती हैं, बम धमाके अगर रोड के विपरीत दिशा में होती तो मरने वालों और हताहत होने वालों की संख्या 10 गुना ज्यादा होती अभी मरने वालों की सरकारी संख्या 15 बताई जा रहीं हैं जबकि प्रत्यक्षदर्शियों मानना इससे कहीं बहुत ज्यादा हैं, धमाके के समय विस्फोट वाली आई टूवैन्टी कार के आगे और पीछे एक दर्जन गाड़ियों के परखचे उड़ गये और लोगों की शरीर 50 फीट उपर तक उड़ गई थी किसी के पैर पेड़ पर लटक रही थी तो किसी के चिथड़े किसी मकान दूकान पर लटक रही थी सबसे नजदीक जैन मंदिर के पास भी शरीर के अंग लटके हुए पाये गये। नया खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी उमर मोहम्मद ब्लास्ट से पहले बम असेंबल करने के लिए हाई-इम्पैक्ट जगह की तलाश कर रहा था। धमाके में सुरक्षा एजेंसियों की जांच ने कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। मुख्य आरोपी उमर मोहम्मद ने लाल किला की कार पार्किंग में ही बम को असेंबल किया था और करीब 3 घंटे तक वहां रुका रहा। इस दौरान वह अपने हैंडलर से लगातार फोन पर संपर्क में था और ब्लास्ट की जगह को फाइनल कर रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, उमर किसी "सिम्बॉलिक और हाई-इम्पैक्ट" लोकेशन की तलाश में था, जहां धमाके का ज्यादा असर हो। पहले उसका प्लान लाल किला की पार्किंग में ही ब्लास्ट करने का था, लेकिन सोमवार होने की वजह से वहां भीड़ कम थी, इसलिए उसने पार्किंग से बाहर

निकलकर मेट्रो स्टेशन गेट-1 के पास धमाका कर दिया। इस आतंकी हमले में अब तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जांच एजेंसियां फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी सहित देश के कई हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं। विश्वविद्यालय के संस्थापक जावेद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर चुका है, साकेत कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। जावेद अब 1 दिसंबर तक ईडी हिरासत में रहेंगा। सहारनपुर से भी एमबीबीएस के छात्र को हिरासत में लिया गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सहारनपुर के देवबंद में छापा मारकर एक एमबीबीएस छात्र को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि इस छात्र की आतंकी डाक्टर उमर मोहम्मद से फोन पर लगातार बातचीत हुई थी और इस मामले में पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही

हैं कि उमर को किस तरह की सपोर्ट सिस्टम मिल रही थी, उसके हैंडलर कौन थे और फंडिंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी से दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है अभी और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इस हमले को लेकर एक पाक नेता ने पाकिस्तान की भागीदारी की बात कबूली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के एक पाकिस्तानी राजनेता ने दावा किया है कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार बम विस्फोट में उनके देश की सीधी भूमिका थी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक ने विधानसभा में कहा, ''मैंने पहले ही कहा था अगर तुम (भारत) बलूचिस्तान को लहूलुहान करते रहोगे, तो हम लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें मारेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से हमने ये कर दिखाया है, हमारे बहादुर जवानों ने ये कर दिखाया।'' भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लाल किले के बाहर विस्फोट की गई कार और इस साजिश के पीछे के आतंकवादी गिरोह का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से है।

विस्फोट की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार 10 सदस्यीय 'आतंकवादी डॉक्टर' सेल की स्थापना जम्मू-कश्मीर के शोपियां के एक इस्लामी मौलवी इरफान अहमद ने की थी। मौलवी का जैश से सीधा संबंध था; वह कथित तौर पर मॉड्यूल के सदस्यों को जैश के आतंकवादियों से मिलने के लिए दक्षिण कश्मीर भी ले गया था, खुफिया एजेंसियों के अनुसार अहमद और एक पाकिस्तानी आतंकवादी उमर-बिन-खत्ताब उर्फ हंजुल्लाह इस गिरोह का संचालक था। अहमद ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पहचान की और उन्हें अपने खौफनाक विचारों से प्रभावित किया, जिनमें डॉ. उमर मोहम्मद भी शामिल था। अहमद सहित इस गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश के पास पहले से ही एक 'महिला ब्रिगेड' है, जिसे जमात उल-मुमिनात कहा जाता है। आतंकी सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया को उस यूनिट का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था। लाल किला विस्फोट के प्रमुख संदिग्धों में से एक डॉ. शाहिना सईद पर भी इसी विंग की सदस्य होने का आरोप है।●

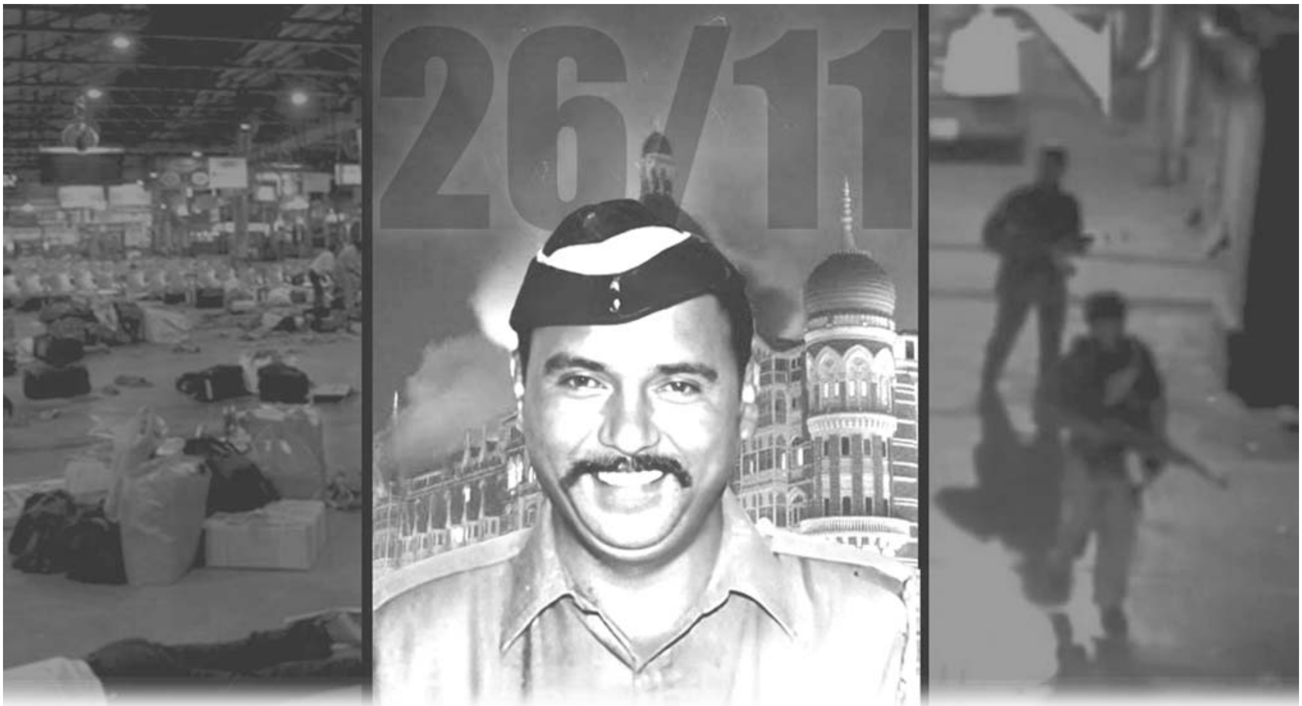

AK 47 Bullets Pierced His Body, Yet Tukaram Omble Never Let Kasab Go | Untold 26/11 Hero Story

As India observes 17th anniversary of the 26/11 Mumbai terror attacks, the nation remembers the extraordinary courage of Assistant Sub-Inspector Tukaram Gopal Omble, whose sacrifice changed the course of the investigation. Born in 1954 in Maharashtra, Omble had served as a Nayak in the Indian Army's Signals Corps before joining the Mumbai Police in 1991. On the night of 26 November 2008, he held terrorist Ajmal Kasab in an unbreakable grip even as multiple AK-47 bullets riddled his chest—a heroic act that exposed the truth behind the attacks.

On that night, Omble and his team were deployed at Girgaum Chowpatty to set up a roadblock. Around 10 PM, a Skoda carrying two terrorists approached the barricade. To distract the police, they switched the headlights to high beam and turned on the wipers. Sensing danger, the police attempted to stop the vehicle. The driver, Abu Ismail, tried to flee, triggering gunfire. Ismail, seated behind the wheel, was killed in the exchange, while the second terrorist, Ajmal Kasab, pretended to be dead inside the car.

ASI Omble, armed with only a baton, went forward to inspect the vehicle, unaware that Kasab was lying in wait. The moment he opened the door, Kasab sprang up and fired a burst from his AK-47 at close range. Despite being unarmed and taking multiple bullets to the chest,

Omble did not retreat. Instead, he lunged forward and grabbed the barrel of Kasab's rifle with both hands, refusing to let go.

Even as bullets tore through his body, Omble held the gun so firmly that Kasab could not move it. This gave the other officers precious seconds to overpower and capture the terrorist alive. Although ASI Omble succumbed to his injuries on the spot, his unparalleled courage ensured that India had the only surviving witness of the 26/11 conspiracy. Kasab's capture became the biggest turning point in the investigation, revealing the planning, training, and global network behind the attacks. On 26 January 2009, the Government of India honoured Tukaram Omble posthumously with the Ashoka Chakra, the nation's highest peacetime gallantry award.

A Dozen Bangladeshi with Indian aide arrested in Murshidabad

Murshidabad Police arrested 13 individuals, including twelve Bangladesh nationals and one Indian national, during a raid in Char Gopalpur village under the Hurshi Gram Panchayat on Friday night.The operation targeted a location where foreign nationals were allegedly being sheltered without valid documents. Officers launched an operation in the area after receiving indications that foreign nationals were being sheltered in Char Gopalpur village without any legal documents.

Police identified the Indian national as 31-year-old Saber Ali, who allegedly provided accommodation to the 12 Bangladeshi citizens for an unspecified period. Investigators believe the group had been living discreetly in the village with Ali's support, though the reason for their unlawful stay in West Bengal remains unclear. Officers added that none of the Bangladeshi nationals possessed valid travel or identity documents that would allow them to reside in India. The arrested Bangladeshi nationals were identified as Md Awal (25), Abdul Khaleque (38), Suman Ali (30), Sukuddin (26), Khabir (19), Sahidul (35), Md Sabbir (22), Md Jiarul Houque (38), Majdar Ali (36), Md Khairul (27), Md Roni (23), and Ruhul Amin (34). During the raid, all of them were detained from the same locality, as per Police sources.

A case has been registered at the local police station under relevant sections for illegal entry and sheltering of undocumented foreign nationals. All 13 accused are to be produced before the ACJM, Lalbagh, on Saturday. Police are expected to seek 10 days' custody for three of the arrested individuals, while the remaining may be placed under judicial custody as the investigation continues. Senior officers said the investigation aims to determine how the Bangladeshi nationals entered India, how long they had been residing in the village, and whether the sheltering was part of a larger network.The possibility of more individuals being involved has not been ruled out. "Further investigation is underway, and additional details are being verified," an Officer said, adding adding that more arrests could follow if new evidence emerges.

बिहार की राजनीति में नया अध्याय

नीतीश कुमार की दसवीं पारी और बदलते सत्ता-समीकरणों की कहानी

● **मिथिलेश कुमार**

बिहार की राजनीति ने 20 नवंबर 2025 को एक नया और दुर्लभ अध्याय दर्ज किया। पटना के गांधी मैदान में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार शपथ ली, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता की वापसी का क्षण नहीं था बल्कि यह बिहार की राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक समीकरणों और शासन मॉडल को गहराई से समझने का अवसर भी था। एक ऐसे नेता की वापसी, जो दो दशकों से अधिक समय से राज्य की राजनीति में केंद्र में रहे, फिर भी हर बार नये ढंग से परिस्थितियों को साधते हुए स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। यह पारी किन राजनीतिक आधारों पर टिकी है, नया मंत्रिमंडल किस दिशा का संकेत देता है, और बिहार के सामने कौन-सी चुनौतियाँ और संभावनाएँ मौजूद हैं।

❖ **नीतीश कुमार : निरंतरता और परिवर्तन के बीच खड़ा एक नेता :-** भारतीय राजनीति में कुछ ही चेहरे ऐसे हैं जो लगातार बदलते गठबंधन, सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बीच स्वयं को टिकाए रखने की क्षमता रखते हों। नीतीश कुमार उनमें सबसे प्रमुख हैं। 2000 में सिर्फ सात दिनों की पहली पारी से लेकर 2025 की दसवीं पारी तक उनका सफर महज सत्ता की बात नहीं है यह रणनीति, विश्वसनीयता और कार्यक्षमता का मिश्रण है। उनका सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश रहा है जनवर्गों का विश्वास। खासकर महिलाओं, अति पिछड़ा वर्ग, अति दलित और ग्रामीण तबकों में उनकी नीतियों ने गहरी पैठ बनाई। "सुशासन" का नारा कभी सिर्फ चुनावी जुमला नहीं रहा, बल्कि इसे उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून-व्यवस्था के माध्यम से जमीन पर उतरने की कोशिश भी की। यही कारण है कि लंबे शासन से अक्सर पैदा होने वाली एंटी-इंकंबेंसी के विपरीत बिहार में एक तरह की प्रो-इंकंबेंसी लहर देखी गई।

❖ **प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर एक राजनीतिक संदेश :-** शपथ समारोह की राजनीतिक भाषा बहुत कुछ कहती है। मंच पर एनडीए के तमाम चेहरे मौजूद थे, लेकिन केंद्र बिंदु नीतीश ही थे। यह संदेश स्पष्ट था कि बिहार राजनीति में अभी भी नीतीश का वजन किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि पूरे गठबंधन ढांचे से भारी है। दसवीं बार मुख्यमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जनता के बड़े हिस्से ने स्थिरता, अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता दी। यह बिहार की राजनीतिक सोच में बदलाव की ओर इशारा करता है, जहाँ सिर्फ जातीय पहचान ही निर्णायक फैक्टर नहीं रह गया है।

❖ **गठबंधन का गणित: मंत्रिमंडल में संतुलन का खेल :-** नई सरकार का मंत्रिमंडल गठबंधन राजनीति का एक संतुलित चित्र है। जेडीयू और बीजेपी को लगभग बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। सहयोगी दलों को भी उनकी ताकत और योगदान के अनुरूप सीटें मिली हैं। युवा नेताओं और अनुभवी चेहरों के मिश्रण से संकेत मिलता है कि सरकार चुनावी तैयारी के साथ-साथ प्रशासनिक स्थिरता भी चाहती है। नीतीश कुमार के लिए हमेशा से मंत्रिमंडल केवल शक्ति-वितरण का मंच नहीं रहा है, बल्कि यह संदेश देने का माध्यम भी रहा है कि वह हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस बार भी उन्होंने जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को वरीयता दी है।

❖ **विकास मॉडल : नीतीश की राजनीति की रीढ़ :-** यदि बिहार में पिछले 20 वर्षों को देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक आधार मुख्य रूप से विकास और सुशासन की नीतियों पर टिका है।

कुछ मुख्य स्तंभ जिन्होंने उनकी लोकप्रियता को बनाए रखा:-

☞ **सड़क और बिजली क्रांति :-** गाँव-गाँव तक सड़कें और चौबीस घंटे बिजली व्यवस्था ने बिहार की छवि को बदला। लंबे समय तक अंधेरे में डूबे रहने वाले ग्रामीण इलाकों ने इस परिवर्तन को गहराई से महसूस किया।

☞ **महिलाओं का सशक्तिकरण :-** साइकिल योजना, पोशाक योजना, आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। इन सबने महिला मतदाताओं को नीतीश के प्रति मजबूत झुकाव दिया।

☞ **सामाजिक न्याय का नया ढांचा :-** पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व देने में वे सबसे सक्रिय रहे। यह नीति सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं थी; यह सामाजिक संरचना में बदलाव की कोशिश भी थी।

☞ **शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान :-** हालाँकि इन क्षेत्रों में चुनौतियाँ आज भी हैं, लेकिन नींव मजबूत करने का प्रयास हमेशा दिखा है।

❖ **राजनीतिक आलोचनाएँ: जो इस पारी का असली परीक्षण होंगी :-** नीतीश की लंबी पारी जितनी प्रशंसा लाती है, उतनी ही आलोचनाएँ भी।

☞ **बार-बार गठबंधन बदलने की छवि :-** कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह उनका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू रहा है। हालाँकि यह रणनीतिक लचीलापन है, लेकिन आलोचक इसे "अविश्वसनीयता" के रूप में भी देखते हैं।

☞ **युवाओं में बढ़ती नाराजगी :-** रोजगार, परीक्षा प्रणाली और पलायन जैसे मुद्दे उनकी सरकार पर दबाव

बनाते रहे हैं। 2025 के चुनावों में भी युवाओं ने इन मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई।

☞ **प्रशासन का स्वरूप :-** भ्रष्टाचार, पुलिस-प्रशासन में ढिलाई और स्थानीय स्तर पर मनमानी की शिकायतें समय-समय पर आती रही हैं। दसवीं पारी में उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह प्रशासनिक मशीनरी को फिर से चुस्त बनायें।

❖ **शपथ ग्रहण के राजनीतिक संकेतः बिहार किस दिशा में? :-** नीतीश कुमार की दसवीं पारी में तीन स्पष्ट संकेत उभरते हैं :-

☞ **स्थिरता की पुनः स्थापना :-** राज्य को राजनीतिक अस्थिरता के दौर से उठाकर एक बड़ी स्थिरता का संदेश दिया गया है। यह निवेश, उद्योग और रोजगार की कोशिशों के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है।

☞ **एनडीए में नीतीश की केंद्रीय भूमिका :-** राष्ट्रीय राजनीति में भी नीतीश की भूमिका अब और मजबूत होगी। एनडीए के भीतर वे सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तंभ के रूप में उभरे हैं।

☞ **बिहार मॉडल का विस्तार :-** सुशासन, महिला-शक्ति और सामाजिक न्याय मॉडल को और गहरा करने की तैयारी दिखाई देती है। विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस दिख सकता है।

❖ **चुनौतियाँ :-**

☞ **बेरोजगारी और कौशल विकास :-** राज्य की सबसे बड़ी चुनौती यही है। जब तक बिहार में उद्योगिक ढाँचा नहीं खड़ा होता, तब तक पलायन कम होना मुश्किल है।

☞ **शिक्षा की गुणवत्ता :-** सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार एक सतत मुद्दा है। शिक्षा केवल भवन और पोशाक योजनाओं से नहीं सुधरेगी-गुणवत्ता और शिक्षकों की जवाबदेही आवश्यक है।

☞ **कानून व्यवस्था :-** हालाँकि पिछले दशक में सुधार हुआ है, लेकिन अपराध की घटनाएँ अब भी राजनीतिक सवाल बनती हैं।

☞ **गठबंधन की आंतरिक राजनीति :-** नीतीश की ताकत यही है, लेकिन यही कमजोरी भी बन सकती है। गठबंधन का संतुलन बिगड़ा तो सरकार को झटके लग सकते हैं।

❖ **बिहार की राजनीति के बदलते चरित्र का प्रतीक :-** नीतीश कुमार की दसवीं पारी बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक और दिलचस्प क्षण है। यह उस बदलाव का संकेत है जहाँ जनता केवल पहचान की राजनीति नहीं देख रही, बल्कि स्थिरता, विकास, सुशासन और नेतृत्व अनुभवी व्यक्तित्व को प्राथमिकता दे रही है। इस पारी में नीतीश को न केवल अपनी स्थापित छवि को बनाए रखना होगा, बल्कि बिहार को तेज विकास और सामाजिक संतुलन के नए पथ पर ले जाना होगा। यदि वे ऐसा कर पाते हैं, तो यह कार्यकाल बिहार के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।

नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भारतीय संसदीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसी घटना है जो एक साथ विस्मय और वितृष्णा दोनों पैदा करती है। यह आंकड़ा केवल सत्ता में उनकी वापसी का नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में व्याप्त उस गहरे शून्य का प्रतीक है, जिसे भरने में पक्ष और विपक्ष-दोनों नाकाम रहे हैं। राजनीतिक नैतिकता के चश्मे से देखें, तो बार-बार गठबंधन बदलना 'अवसरवाद' की श्रेणी में आता है, लेकिन शुद्ध 'सत्ता के गणित' के नजरिए से यह नीतीश कुमार की उस 'अपरिहार्यता' को दर्शाता है, जिसके आगे बड़ी से बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां भी नतमस्तक हैं। सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार ने फिर पाला क्यों बदला या उन्होंने 10वीं बार शपथ कैसे ली, प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चाहे 'कमल' हो या 'लालटेन', बिहार के सिंहासन का रास्ता 'तीर' के निशान से होकर ही गुजरता है? यह शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक नेता की ताजपोशी नहीं है, बल्कि यह बिहार में नेतृत्व के संकट और विचारधारा की राजनीति के अंत का एक सजीव दस्तावेज है। 10वीं बार ली गई यह शपथ बताती है कि बिहार में 'सरकारें' बदल सकती हैं, 'गठबंधन' बदल सकते हैं, लेकिन 'चेहरा' नहीं बदल सकता। क्या इसे नीतीश कुमार की 'सोशल इंजीनियरिंग' की जीत माना जाए या लोकतंत्र में नए विकल्पों के अभाव की हार? यह आलेख इसी विरोधाभास की पड़ताल करता है। आलेख के लिए प्रमुख बिंदु (Key Points for the Body): अंकगणित का जादूगर: कैसे घटती सीटों (जेडीयू के नंबर कम होने) के बावजूद नीतीश सीएम की कुर्सी पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। विश्वसनीयता का संकट (Crisis of Credibility): क्या बार-बार पाला बदलने से उनकी 'सुशासन बाबू' वाली छवि धूमिल हुई है, या जनता ने इसे 'न्यू नॉर्मल' मान लिया है? ●

नीतीश का सुशासन मॉडल अब भाजपा की कसौटी पर

सम्राट चौधरी की बड़ी परीक्षा शुरू

● स्वदेश कुमार

बिहार की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही दसवीं बार पद पर आसीन हुए हैं, लेकिन असली सत्ता का केंद्र अब भाजपा के हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पटना में हाल ही में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 14 भाजपा और केवल 8 जेडीयू के प्रतिनिधि थे। यह संख्या-बदलाव सत्ता संतुलन में भाजपा की बढ़ती पकड़ को स्पष्ट करता है। मंच पर यह दृश्य साफ था कि अब सत्ता का असली असर भाजपा के हाथ में है। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब गृह मंत्रालय, जिसे नीतीश कुमार ने पिछले लगभग 20 साल तक स्वयं संभाला, अब भाजपा को सौंपा गया। डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब इस संवेदनशील विभाग के प्रमुख हैं। गृह मंत्रालय का नियंत्रण केवल पुलिस और कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। अब राज्य में अपराध नियंत्रण, इंटेलिजेंस ऑपरेशन और सुरक्षा मामलों में भाजपा का सीधा प्रभाव रहेगा। सम्राट चौधरी का राजनीतिक व्यक्तित्व आक्रामक और निर्णायक माना जाता है। उनकी चुनौती यह होगी कि वे नीतीश कुमार द्वारा स्थापित सुशासन के मानकों को बनाए रखें। नीतीश ने अपने कार्यकाल में अपराध पर सख्ती, फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना और पुलिस को स्वतंत्र कार्रवाई की सुविधा देकर जनता में विश्वास पैदा किया था। अब यही जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर आ गई है। जनता की अपेक्षाएँ ऊँची हैं और हर बड़ी घटना के बाद उनकी तुलना नीतीश के साथ होगी।

पुलिस प्रणाली और प्रशासनिक तालमेल भी उनकी परीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नीतीश के समय अफसरशाही को यह विश्वास था कि शीर्ष नेतृत्व सीधे कानून-व्यवस्था पर नजर रखता है। अब सम्राट चौधरी को यह भरोसा बनाए रखना होगा कि पुलिस निष्पक्ष और सशक्त है। बड़े मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई उनके नेतृत्व की परीक्षा होगी भाजपा की रणनीति स्पष्ट है। बिहार में गृह मंत्रालय की पकड़ के साथ पार्टी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर रही है। सम्राट चौधरी की जातीय पृष्ठभूमि, उनकी कुशवाहा जाति, पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में रणनीतिक लाभ भी दे सकती है। बिहार में उनके प्रभाव का विस्तार उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल और 2029 लोकसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ा है। जेडीयू और भाजपा के बीच सत्ता संतुलन अब स्पष्ट रूप से भाजपा की ओर झुका है। मंत्रिमंडल में भाजपा ने 9 नए चेहरों को शामिल किया और केवल 5 पुराने मंत्रियों को पुनः स्थान दिया। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत है। जेडीयू को वित्त और सामान्य प्रशासन जैसे विभाग मिले हैं, जो नौकरशाही और राज्य नीति के संचालन में अहम हैं, लेकिन असली शक्ति अब गृह मंत्रालय में केंद्रित है। आने वाली चुनौतियाँ सम्राट चौधरी के लिए बड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती यह है कि जनता और मीडिया उनकी तुलना नीतीश कुमार से करेंगी। हर बड़ी घटना पर यह सवाल उठेगा कि अगर नीतीश होते तो क्या होता। दूसरी चुनौती पुलिस प्रणाली और अफसरशाही के भरोसे को बनाए रखना है। नीतीश ने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित किया था कि पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्रवाई करे। अब सम्राट को यह भरोसा बनाए रखना होगा। तीसरी चुनौती भाजपा नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उनकी सफलता सीधे पार्टी की साख और भविष्य की रणनीतियों से जुड़ी होगी। चौथी चुनौती एनडीए में संतुलन बनाए रखना है। भाजपा, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के बीच कानून-व्यवस्था के मामले कभी भी विवाद का कारण बन सकते हैं। पांचवीं चुनौती सोशल मीडिया और मीडिया दबाव है। हर घटना तुरंत वायरल होगी और राजनीतिक हथियार बन सकती है। छठी चुनौती नई पहचान बनाना है। नीतीश के मॉडल को अपनाते हुए सम्राट को अपनी अलग छवि बनानी होगी। सातवीं चुनौती जातीय और सामाजिक तनाव पर नियंत्रण रखना है। बिहार में छोटे विवाद बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं और पुलिस निष्पक्ष दिखनी चाहिए। आठवीं चुनौती जनता के भरोसे को बनाए रखना है। सुशासन की छवि कायम रखना और हर फैसले का जनहित में होना उनकी जिम्मेदारी होगी।

केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार अवैध घुसपैठ और सीमांचल की सुरक्षा प्राथमिकता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यह जिम्मेदारी भी अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। सीमा पार की निगरानी, बीएसएफ और एनआईए के साथ तालमेल और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया उनके कार्यकाल में लागू होगी। भाजपा का लक्ष्य साफ है। बिहार में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा मामलों में केंद्र और राज्य का संयुक्त नियंत्रण स्थापित करना है। इसका मतलब है कि पुलिसिंग का स्वरूप बदलने वाला है। अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और राजनीतिक संतुलन मजबूत रहेगा। बुलडोजर और सख्त कार्रवाई के उदाहरण आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार अब उत्तर प्रदेश की राह पर बढ़

सकता है। भाजपा का इरादा है कि केंद्र और राज्य के समन्वय से कानून-व्यवस्था के नए मानक स्थापित किए जाएँ। यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि भाजपा की राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने वाला कदम है। सम्राट चौधरी के लिए यह चुनौती है कि वे नीतीश के मॉडल को अपनाते हुए अपनी नेतृत्व छवि बनाएँ। जनता, मीडिया और राजनीतिक दल उनके हर कदम को मापेंगे। उनकी सफलता केवल गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बिहार में सुशासन, सामाजिक संतुलन और भाजपा की राजनीतिक साख में परिलक्षित होगी।

बिहार की राजनीति अब नए सिरे से परिभाषित हो रही है। गृह मंत्रालय भाजपा के नियंत्रण में आने से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में अपराध नियंत्रण, जातीय-सामाजिक संतुलन और राजनीतिक शक्ति का नया समीकरण बन गया है। आने वाले समय में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रशासन और सियासत दोनों में नए मानक स्थापित होंगे। यदि वे इस चुनौती में सफल रहते हैं, तो बिहार में उनका प्रभाव नीतीश कुमार की छाया से आगे बढ़कर नए राजनीतिक समीकरण बनाएगा। उनकी भूमिका केवल गृह मंत्री की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में स्थायी और निर्णायक शक्ति केंद्र के रूप में होगी। जनता की निगाहें अब उनके हर कदम पर हैं और उनके फैसले तय करेंगे कि बिहार का 'सुशासन मॉडल' कितना स्थायी और प्रभावशाली रहेगा। ●

कभी लालू के थे खास, अब नीतीश सरकार में संभालेंगे कृषि विभाग

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा कोटे से रामकृपाल यादव को भी मंत्री का शपथ दिलाया, उन्हें बिहार कैबिनेट में कृषि विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। यह विभाग महत्वपूर्ण माना जाता है। मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्तित्व की छवी रखने वाले रामकृपाल यादव ने दानापुर विधानसभा सीट से राजद के रीतलाल यादव को हराकर विधायक बने हैं। बता दें कि पटना में रेलवे जंक्शन से सटे गोरिया टोली के रहने वाले और 12 अक्टूबर 1951 को जन्मे रामकृपाल यादव ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी पटना के स्थानीय निकायों से ही की थी। वह पटना के मेयर बने फिर धीरे-धीरे जमीनी नेता बन गए और लालू की टीम का हिस्सा हो गए। राजद के टिकट पर वह तीन बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2014 में जब उन्होंने राजद से नाता तोड़कर मीसा भारती के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया। इस पर रहते हुए उन्होंने 2014 से 2019 तक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, आवास और मनरेगा से जुड़े कई कार्यक्रमों पर कई काम किए। 1990 और 2000 के दशक में वह लालू के हनुमान कहे जाते रहे हैं। वह लालू के सबसे करीबी लोगों में थे, जो साए की तरह हमेशा उनके साथ रहा करते थे। लालू-राबड़ी कार्यकाल में और बाद तक राम और श्याम (रामकृपाल यादव और श्याम रजक) की जोड़ी बिहार में चर्चा रहती थी। रामकृपाल करीब तीन दशकों तक लालू के सबसे भरोसेमंद सिपाही बने रहे लेकिन 2014 में दोनों की राहें जुदा हो गईं। दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनावों में जब लालू यादव ने पाटलीपुत्र संसदीय क्षेत्र से अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को राजद का उम्मीदवार बनाया तो लालू के हनुमान और समाजवादी चेहरा रामकृपाल भाजपा के पाले में चले गए। उनके इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी क्योंकि अब तक वह न सिर्फ लालू के भरोसेमंद सिपाही थे बल्कि उससे भी ज्यादा रणनीतिकार थे जो पार्टी में संगठन से लेकर सरकार तक लालू का संदेशवाहक के रूप में जाने जाते थे। 2019 में वह फिर सांसद चुने गए लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में मीसा भारती के हाथों उनकी हार हुई। ऐसे में पार्टी ने उन्हें पटना से सटे दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़वाया और वे जीतकर नई सरकार में कृषि मंत्री बने। बड़ी बात यह भी कि इनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने खुद लालू यादव दानापुर गए थे, लेकिन जीत रामकृपाल की हुई।

ना विधायक ना एमएलसी, फिर भी मंत्री बनाये गये दीपक प्रकाश

बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। खास बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को भी शपथ दिलाई गई है जो इस बार चुनाव नहीं लड़े थे। इनका नाम है दीपक प्रकाश। अभी ना ही वह विधायक हैं और ना ही एमएलसी। अब उन्हें सरकार में बने रहने के लिए छः महीने के भीतर बिहार विधान परिषद् का सदस्य बनाया जायेगा। दीपक प्रकाश बिहार के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। दीपक प्रकाश कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं। अब वह एमएनसी की नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। 2024 में पावर स्टार पवन सिंह की चुनावी आंधी में काराकाट से उपेन्द्र कुशवाहा हार गये थे, बाद में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया और अब बिहार विधानसभा चुनाव में सासाराम सीट से उनकी पत्नी स्नेहलता जीत कर सदन पहुंची है और बेटा दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज के मंत्री बनाये गये हैं। इसके बाद से विपक्ष खुले तौरपर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है।

Justice Surya Kant Becomes 53rd Chief Justice Of India :
Early Life, Legal Journey & 80 Major Judgments

The Supreme Court of India has received its new head. Justice Surya Kant was sworn in on Monday as the 53rd Chief Justice of India (CJI). His tenure will last for about 14 months, and he is scheduled to retire on 9 February 2027. He succeeds Justice B.R. Gavai. The oath was administered by President Droupadi Murmu.

Justice Surya Kant brings with him over two decades of judicial experience. He served in the High Court before being elevated to the Supreme Court. His body of work includes landmark judgments related to Article 370, freedom of speech, democracy, corruption, environmental protection, and gender equality.

Who is Justice Surya Kant?

Justice Surya Kant was born on 10 February 1962 in Petwar village of Hisar district, Haryana, into a family of teachers. He spent his early years far from urban life and first saw a town only when he travelled to Hansi to appear for his Class 10 board examinations. Until Class 8, he studied in a village school that didn't even have benches. He graduated from Government Post Graduate College, Hisar in 1981, and completed his law degree from Maharshi Dayanand University, Rohtak in 1984. The same year, he began practising law at the Hisar district court. In 1985, he moved to Chandigarh to practice at the Punjab and Haryana High Court.

In July 2000, he was appointed Advocate General of Haryana, becoming the youngest person to hold the post. He was designated a Senior Advocate in March 2001. In January 2004, he was appointed a Permanent Judge of the Punjab and Haryana High Court. Later, on 5 October 2018, he took oath as the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, and on 24 May 2019, he was elevated to the Supreme Court of India.

Major Judgments by Justice Surya Kant

As a Supreme Court judge, Justice Surya Kant authored around 80 significant judgments. Among these was the decision overturning the 1967 ruling related to Aligarh Muslim University (AMU), paving the way for reconsideration of the institution's minority status.

He also presided over key cases such as :

- ☞ Petitions challenging Section 6A of the Citizenship Act.
- ☞ Granting bail to then Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the excise policy case.
- ☞ Serving on the bench that heard the Pegasus spyware matter, which led to the formation of a panel of cyber experts to investigate allegations of unlawful surveillance.
- ☞ The court observed that the State cannot claim a "free pass" under the blanket cover of national security.

विश्वास वहीं टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध होती हैं : राष्ट्रपति मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा लखनऊ में आयोजित विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान (योग) के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए राजयोग के जरिए आध्यात्मिक चेतना के विकास पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास वहीं टिकता है, जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। राष्ट्रपति मुर्मु के अनुसार, शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वहीं से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है।

☞ **भारत की प्राचीन सभ्यता ने दिया वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश :-** कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'ओम शांति' के संबोधन से अपने वक्तव्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश विश्व को दिया है, जिसका भाव यह है कि सारा विश्व एक परिवार है। आज जब विश्व कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह विचार और अधिक प्रासंगिक बन जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह अभियान प्रभावी योगदान देगा। उन्होंने कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए ब्रह्मकुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दी।

☞ **भारत सरकार ने समाज को अधिक समावेशी बनाने के लिए उठाए कदम :-** राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और मूल्य-आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। योग एवं ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व भी इसी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य-आधारित शिक्षा तथा जीवन पोषण जैसे तथ्यों का समावेशन इसी दिशा का प्रयास है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रसारित करने का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

☞ **आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित होगा मानवता का भविष्य :-** वर्ष 2023 में भारत में हुए जी-20 समिट के आयोजन का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समिट का थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उन्होंने कहा कि ये पहल इस महत्वपूर्ण संदेश को मजबूत करती हैं कि मानवता

का भविष्य मानव-मूल्यों, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के बल पर मानवता ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम तथा संसाधन-संपन्न बनाया है।

☞ **तकनीकी उन्नति के साथ बढ़ रहा तनाव :-** राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है। उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं, लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ तनाव, असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी बढ़ रहा है। आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की भी यात्रा प्रारंभ करें। इसी 'स्व' से साक्षात्कार को सुगम बनाने का कदम ब्रह्मकुमारीज

ने उठाया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

☞ **आनंद बाहरी वस्तु में नहीं, हमारे भीतर ही है :-** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि हर मनुष्य चाहता है कि वह दूसरों पर विश्वास करे, लेकिन विश्वास वहीं टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध हों। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ क्षण रुककर स्वयं से संवाद करते हैं, तो यह अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब आत्मिक चेतना जागृत होती है, तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वत: जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वहीं से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव रखी जाती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है।

☞ **भीतर की शांति को जगाने का आह्वान :-** ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा विश्व शांति, मानवीय मूल्य, नारी शक्ति, आत्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रेरक और प्रशंसनीय हैं। इस सेवा के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। उन्होंने आह्वान किया कि आइए, शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्म में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व

के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि वे जानती हैं कि ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल लखनऊ और माउंट आबू में ही नहीं, बल्कि गांव-गांव में शिक्षा केंद्रों के माध्यम से सकारात्मकता का प्रसार कर रहा है। सभी समाज को सुख, शांति, आनंद, प्रेम और विश्वास का संवाहक बनकर जन-जन तक पहुंच रहे हैं। आज का कार्यक्रम एक सुंदर विश्व बनाने की दिशा में संवाहक की भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, मानव चेतना में प्रकाश जगाकर अज्ञान के अंधकार को दूर करना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस विशिष्ट आयोजन का हिस्सा बनना उनके लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानव चेतना में प्रकाश जगाकर अज्ञान, तनाव और अंधकार से बाहर निकालकर समाज को नई दिशा देना है। यह संस्था 137 देशों में ज्ञान, प्रेम, शांति और योग का संदेश देकर वैश्विक आध्यात्मिक परिवर्तन का कार्य कर रही है। उन्होंने इसे विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था बताते हुए मातृशक्ति के नेतृत्व को नारी-शक्ति की नवोन्मेषी और परिवर्तनकारी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आज विश्व असंतोष, अविश्वास, हिंसा, मानसिक तनाव और मूल्यहीनता के संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में राजयोग मेडिटेशन व्यक्ति को आत्मदर्शन, आत्म-शुद्धि और आत्म-विकास के मार्ग पर ले जाकर उसे नकारात्मकता, भय और भ्रम से मुक्त करता है। ध्यान की अवस्था में उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा न केवल व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को परिवर्तित करती है, बल्कि उसके संबंधों, वातावरण और समाज पर भी स्थायी प्रभाव छोड़ती है।

☞ **दीप प्रज्ज्वलन से हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ :-** प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा लखनऊ में आयोजित विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान (योग) के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति मुर्मु ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। उन्होंने ब्रह्माकुमारियों को कलश सौंपा तथा भ्राताओं को ब्रह्माकुमारीज की ध्वजा प्रदान की। कार्यक्रम में छात्राओं ने पारंपरिक नृत्य शैली में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इस दौरान ब्रह्माकुमारी राधा ने ईश्वरीय परिवार की ओर से स्वागत वक्तव्य दिया। भ्राता नथमल जी ने वैश्विक एकता और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए राजयोग को अपनाने तथा विकारों को दूर करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपर महासचिव ब्रह्माकुमारीज एवं अध्यक्ष (शिक्षा शाखा, माउंट आबू) राजयोगी डॉ. ब्रह्मकुमार मृत्युंजय, निदेशक उपक्षेत्र लखनऊ राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी राधा, राष्ट्रीय संयोजक कटक (ओडिशा) राजयोगी ब्रह्मकुमार नथमल समेत प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, प्रशिक्षक और साधक उपस्थित रहे।

राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण

● **अमित कुमार**

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पूर्ण होने बाद 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व संघ प्रमुख भागवत ने विवाह पंचमी के अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच मंदिर के शिखर पर केशरिया ध्वज फहराया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराते ही अयोध्या में दीपावली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे और राम नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। धर्म ध्वज की ऊंचाई दस फीट और लंबाई बीस फीट है। इस पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी बनी हुई है। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे इस समकोण तिकोनी ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर के साथ 'ऊँ' लिखा है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है। इससे पहले पीएम मोदी का राज्यपाल आनंदी पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सप्तमंदिर और शेषावतार मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की।

बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजारोहण महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृतधारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और AI दोनों का तालमेल दिखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है, जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही

है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी। अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। उन्होंने कहा कि ये धर्मध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इसपर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ऊँ शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष रामराज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज...संकल्प है, सफलता है! ये ध्वज...संघर्ष से सृजन की गाथा है, सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज...संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणीति है। पीएम मोदी ने कहा कि ये धर्मध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए, पर वचन न जाए अर्थात् जो कहा जाए, वही किया जाए। ये धर्मध्वज संदेश देगा–'कर्मप्रधान विश्व रचि राखा' अर्थात् विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्मध्वज कामना करेगा–'बैर न बिग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आसा' यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति और समाज में शांति एवं सुख हो। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का ये दिव्य प्रांगण भारत के सामुहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेमभाव और आतिथ्य की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है, ये उस मित्रता का साक्षी है, जो साधन नहीं, साध्य को और उसकी भावना को पुजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि विश्वामित्र हैं, महर्षि अगस्त्य हैं और संत तुलसीदास हैं। रामलला के साथ-साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी हैं। जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब जानते हैं कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं।

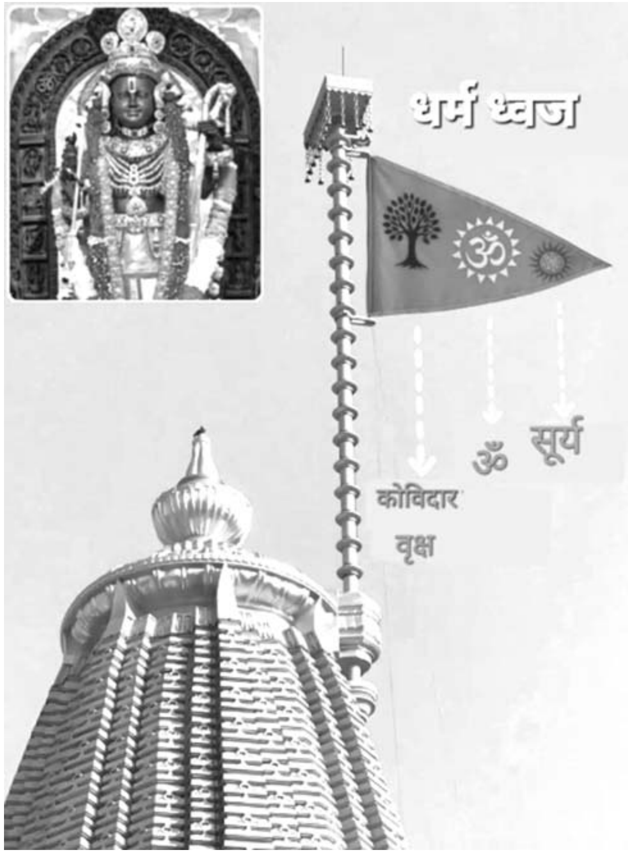

गौरतलब है कि मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाली धर्म ध्वजा बड़ी ही खास है और इस पर बने प्रतीक चिन्हों का भी खास अर्थ है। ये ध्वजा केसरिया रंग की होगी, जिसे ज्वाला, तप, त्याग व प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सनातन का भी प्रतीक है। इस ध्वजा पर सूर्यदेव भी अंकित हैं, जो श्रीराम के सूर्यवंश का प्रतीक हैं। ध्वजा पर अंकित ऊँ परमात्मा का प्रथम नामाक्षर एवं चेतना व शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष भी अंकित है, जो कि अयोध्या के राजवंशीय राज चिन्ह् के रूप में जाना जाता है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण व हरिवंश पुराण में भी है। जगद्गुरु करपात्री जी महराज ने राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाली धर्म ध्वजा के बारे में बताते हुए कहा कि केसरिया ध्वज सूर्यवंश व सनातन को प्रमाणित करता है। उन्होंने 22 का मतलब बताते हुए कहा कि 22 से तात्पर्य परमात्मा श्रीराम की उपस्थिति से है। अयोध्या के संत

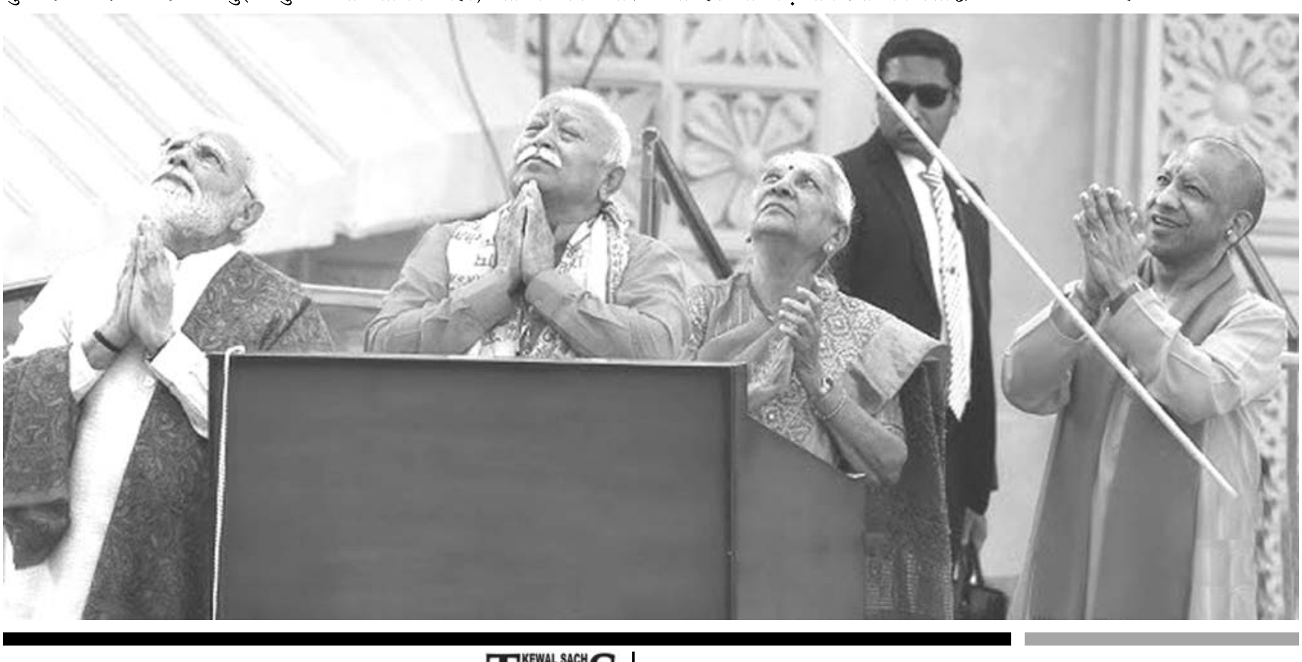

दिवाकराचार्य ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर केसरिया धर्म ध्वज फहराया जाना विश्व की मंगलकामना के लिए है। यह श्रीराम जन्मभूमि से धर्म का संदेश देने का कार्य है और सनातन की परंपरा रही है कि किसी कार्य के पूर्ण होने पर ध्वजारोहण करते हैं। उसी प्रकार जब राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तो यह उसकी पूर्णाहुति है। इसका प्रतीक है राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाली धर्म ध्वजा। अयोध्या की प्राचीन दंत धावंत कुंड आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य ने बताया कि राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा, वह ध्वज उसी तरह से है, जब त्रेता युग में श्रीराम का राज हुआ करता था। उस युग में जो ध्वज था यह उसका ही प्रतीक है। क्योंकि रामायण व रामचरित मानस से इसकी परिकल्पना ली गई है। इस ध्वज में जिन प्रतीकों का समावेश किया गया है, वह बड़ा ही दिव्य है। इस ध्वज में संपूर्ण राष्ट्र को बांधने की क्षमता है, जिसे विधि-विधान के साथ फहराया जाएगा।

बताते चले कि ध्वज हमारे सनातन में विजय व यश का प्रतीक भी है। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, जहां से सूर्य उगता था और जहां अस्त होता था, वहां तक उनका साम्राज्य था। इसीलिए यह धर्म ध्वज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ध्वज 11 मीटर चौड़ा व 22 मीटर लंबा होगा। उन्होंने बताया कि इस ध्वज की लम्बाई व चौड़ाई के जो अंक है उसका भी बड़ा महत्व है। 11 गुणा 22 किया जाए तो 242 आएगा और 242 को जोड़ा जाय तो पूर्णांक 8 आएगा और 8 शनि देव का अंक है और शनि न्याय के देवता हैं। इसका अर्थ है कि मर्यादा में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने धर्म ध्वजा के लिए कहा कि धर्म ध्वजा सदा ही आध्यात्मिक सर्वोच्चता, संपूर्णता, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक होती है। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा श्रीराम मंदिर की पूर्णता का प्रतीक होगी और इसके साथ इतिहास के बड़े कलंक का नाश भी हो जाएगा। अयोध्या उऋण हो जाएगी। अयोध्या झुनकी घाट के महंत करुणा निधान शरण ने कहा कि सनातन धर्म ध्वजा में ही समाहित है। जब हम लोगों ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था तब ये सोचा था कि हमारा ध्वज जब राम जन्मभूमि के शिखर पर फहराएगा तो तो स्वत: ही सनातन धर्म चारों दिशाओं में फैलेगा। ध्वज हमारी विजय का भी प्रतीक है। महंत माधव दास ने बताया कि भगवान के सभी कार्य मांगलिक होते हैं। 25 नवंबर को श्रीराम विवाह पंचमी जैसा शुभ मुहर्त भी है, जो कि वर्ष मे एक बार आता है। भारत आर्यावर्त व सनातन देश है। धर्म ध्वजा से पूरे देश में धर्म का संदेश जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि 500 वर्षो संघर्षो के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा रोहण कर रहे हैं। सनद् रहे कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहरने वाली ध्वजा को आधुनिक ऑटोमैटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम के जरिए शिखर पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री के बटन दबाते ही 10 सेकंड के अंदर ध्वजा ऊपर उठेगी और हवा के साथ 360 डिग्री पर घूम सकेगी। मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ बनाया गया है। इसी पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी केसरिया ध्वजा फहराई जाएगी।

विदित हो कि मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण समारोह में अपनी बातों का आगाज सियावर रामचंद्र भगवान, माता जानकी, सरयू मैया की जय, भारत माता की जय और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही समूचा मंदिर परिसर जय-जयकार से गूंज उठा।

आजु सफल तपु तीरथ त्यागू।
आजु सुफल जप जोग बिरागू।
सफल सकल सुभ साधन साजू।
राम तुम्हहि अवलोकत आजू।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहूति नहीं, बल्कि नए युग का शुभारंभ है। प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान व आत्मगौरव

का प्रतीक है। सीएम योगी ने भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले कर्मयोगियों का भी अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आज का पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्रीराम भक्तों की अखंड साधना –संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने आंदोलन व संघर्ष के लिए जीवन को समर्पित किया। विवाह पंचमी का दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। मुख्यमंत्री–गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज के आरोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की उपस्थिति में अपने विचार रखे। सीएम योगी समेत सभी विशिष्टजनों ने झुककर भगवा ध्वज को प्रणाम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को स्मृति चिह्न भी प्रदान किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और रामराज्य के मूल्य कालजयी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि–कोटि भारतवासियों के मन और हृदय में जिस संभावना, संकल्प व विश्वास का सूर्योदय हुआ, आज वही तपस्या, अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार होकर भव्य राम मंदिर के रूप में भारतवासियों व सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष है। श्रीराम मंदिर पर फहराता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय व राष्ट्रधर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। सभी ने 11 वर्ष में बदलते भारत को देखा है। हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जहां विकास और विरासत का बेहतरीन समन्वय है। यह इसे नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, हर जरूरतमंद को आवास, हर व्यक्ति बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ पा रहा है तो यह रामराज्य की वह उद्घोषणा है, जिसका आधार विकसित भारत है।

सीएम योगी ने कहा कि 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन आस्था अडिग रही। आस्था न झुकी, न रुकी। जन–जन का विश्वास अटल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो हर मुंह से एक ही उद्घोष निकलता था कि 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।' एक समय था, जब वैभवशाली अयोध्या संघर्ष, बदहाली का शिकार बन चुकी थी, लेकिन पीएम मोदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में अयोध्या उत्सवों की वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन पर्व है, हर दान प्रताप है और हर दिशा में रामराज्य की पुनर्स्थापना की दिव्य अनुभूति हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि रामलला की पावन नगरी आस्था व आधुनिकता, आस्था व अर्थव्यवस्था के नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यहां बेहतर कनेक्टिविटी है। धर्मपथ, रामपथ, भक्ति पथ, पंचकोसी और 14 कोसी के साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालुओं व भक्तों को नया मार्ग व आस्था को नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम में आस्था, आधुनिकता, आस्था और अर्थव्यवस्था का नया केंद्र दिख रहा है। देश की पहली सोलर सिटी–सस्टेनबल स्मार्ट रूप में नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। आज का दिन हर भारतवासी, सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्मगौरव–राष्ट्रगौरव का दिन है। इस अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज आदि मौजूद रहे। संचालन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने किया।

Delhi Pitbull Attack
6 Year Old Boy Loses Ear
Dog Owner Arrested

A six-year-old boy sustained severe injuries, including the loss of his right ear, after a neighbour's pet pitbull mauled him in northwest Delhi's Prem Nagar on Sunday evening. CCTV footage shows the child chasing a ball outside his home when the dog suddenly broke free and lunged at him, biting his ear off and inflicting deep wounds. Neighbours helped rescue the boy from the dog's grip before he was taken to BSA Hospital in Rohini. He was later shifted to Safdarjung Hospital, where he is currently undergoing treatment. Police have registered a case under Sections 291 and 125(b) of the Bharatiya Nyaya Sanhita for negligent handling of a dangerous animal. The dog's owner, Rajesh Pal, has been arrested.

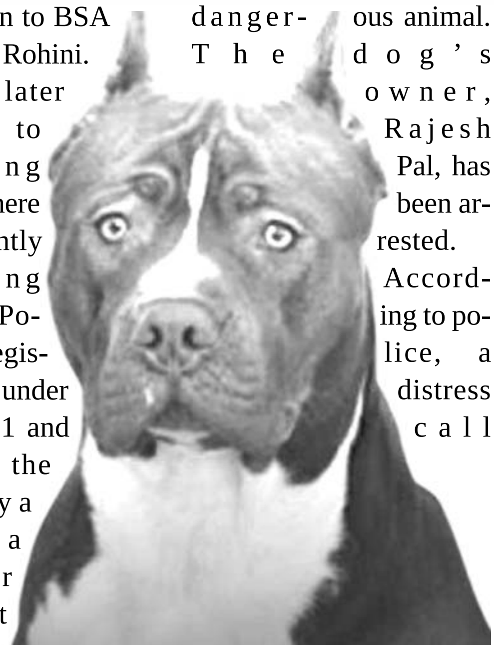

According to police, a distress call reached the Prem Nagar police station at 5:38 pm, reporting that the injured child had been rushed to the hospital by his parents. The preliminary probe revealed that the pitbull was brought home nearly 18 months ago by Rajesh Pal's son, Sachin Pal, who is presently lodged in jail in an attempted murder case. Police have collected the child's medical records and recorded the statement of his father, Dinesh, a factory worker in Kirti Nagar.

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने भोपाल में 'वंदे मातरम' को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा होना तय है। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमों के लिए वंदे मातरम बोलने में मुश्किल नहीं होती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर, भाजपा ने मदनी के 'वंदे मातरम' पर दिए गए बयान और सुप्रीम कोर्ट पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर कड़ी आलोचना की है। भोपाल में जमीयत की राष्ट्रीय प्रबंधक कमेटी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए मौलाना मदनी ने वंदे मातरम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुर्दा कौमों के लिए मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि वह तो सरेंडर कर देती हैं। वह कहेंगे 'वंदे मातरम' पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। यदि जिंदा कौम हैं तो हौसला बुलंद करना पड़ेगा और हालात का मुकाबला करना पड़ेगा।

बताते चले कि मौलाना मदनी ने

मुस्लिमों से जुड़े कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हो या तीन तलाक का, इन फैसलों के बाद ऐसा लग रहा है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन की ऐसी मिसालें सामने आई हैं, जिन्होंने अदालतों के किरदार पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वरशिप एक्ट को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमों को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया है। मदनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक कि वह संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा न करे तो फिर वह 'सुप्रीम' कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना ने जिहाद पर बोलते हुए कहा कि जहां जुल्म होगा, वहां जिहाद होगा। जिहाद शब्द का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मदनी ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हमनाम बना दिया। लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के

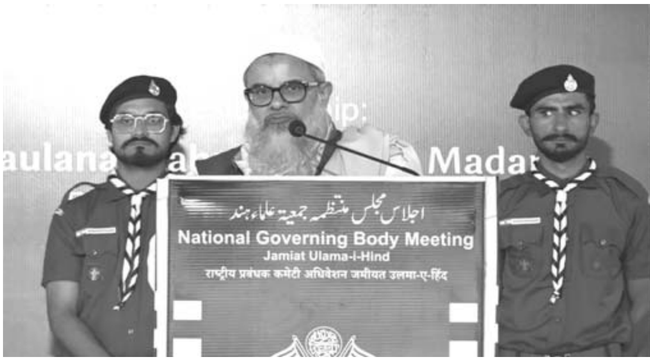

पक्ष में देश के सिर्फ 10 प्रतिशत लोग हैं, जबकि 60 फीसदी लोग खामोश हैं। देश के 30 फीसदी लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं।

दूसरी ओर, भाजपा ने मौलाना मदनी के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। कुछ बीजेपी नेताओं ने यहां तक मांग की है कि मदनी के इस बयान की जांच होनी चाहिए कि यह आतंकवाद और देशद्रोह से जुड़ा हुआ तो नहीं है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि मदनी का बयान अनुचित है। जिहाद के नाम पर जो आतंक फैला है, वह हमने देखा है। यह कहना बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि भारत में जिहाद होगा। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक में इसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात बहुत संवेदनशील और चिंताजनक हैं। मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। भाजपा नेता संबित पात्रा ने बयान पर आपत्ति लेते हुए कहा कि वह न केवल भड़काऊ बयान है अपितु देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी कुचेष्टा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में एक बड़ी बैठक में जिस प्रकार का बयान दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर ले जाने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि 'जिहाद' होना चाहिए, 'जब-जब जुल्म होगा जिहाद होगा', मुझे लगता है कि ये काफी अनुचित वाक्य है। उन्होंने कहा कि जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर आतंक फैलाया है वो भी हमने देखा है तो स्वाभाविक रूप से ये कहना कि भारत में जिहाद होगा, यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। भाजपा नेता ने कहा कि मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम करता है और इस देश में उसे 'सुप्रीम' कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से संज्ञान लेना चाहिए

क्योंकि इससे कोर्ट की हैसियत कम होती है। इससे पहले मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि दुख की बात है कि एक खास समुदाय को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे समुदाय कानूनी तौर पर बेबस, सामाजिक रूप से अलग-थलग और आर्थिक रूप से बेइज्जत किए जाते हैं। बुलडोजर एक्शन, मॉब लिंचिंग, वक्फ संपत्ति पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ताकि उनके धर्म, पहचान और वजूद को कमजोर किया जा सके। इससे मुसलमान सड़कों पर चलते हुए भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने मुस्लिमों से जुड़े कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला हो या तीन तलाक का, इन फैसलों के बाद ऐसा लग रहा है कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन की ऐसी मिसालें सामने आई हैं, जिन्होंने अदालतों के किरदार पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वरशिप एक्ट को नजरअंदाज कर ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमों को कोर्ट में सुनने लायक बताया गया है। मदनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट तब तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक कि वह संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा न करे तो फिर वह 'सुप्रीम' कहलाने का हकदार नहीं है।

● शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला

भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवा न केवल एक बुनियादी अधिकार है, बल्कि सामाजिक न्याय की कसौटी भी। बिहार, जो देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, वहां की स्वास्थ्य प्रणाली पहले से ही संसाधनों की कमी, आधारभूत संरचना की जर्जरता और प्रशासनिक अक्षमताओं से जूझ रही है। ऐसे में, जब राज्य की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी-बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के शीर्ष अधिकारी पर भ्रष्टाचार, पक्षपात और जातीय घृणा फैलाने के गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह न केवल प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बन जाता है, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता पर सवाल उठाता है। हाल के दस्तावेजों और शिकायतों से उजागर हुए ये आरोप श्री निलेश रामचंद्र देवरे (IAS), BMSICL के प्रबंध निदेशक, के इर्द-गिर्द घूमते हैं। ये आरोप न केवल व्यक्तिगत कदाचार के हैं, बल्कि वे बिहार की अस्मिता, गरीबों के स्वास्थ्य अधिकार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को छूते हैं। यह मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी नौकरशाही अब भी 'जनसेवा' की भावना से प्रेरित है, या वह सत्ता के दुरुपयोग का माध्यम बन चुकी है।

भ्रष्टाचार अब केवल आर्थिक अपराध नहीं रहा, यह सामाजिक असमानता, जातीय विभाजन और प्रशासनिक अमानवीयता का स्रोत बन गया है। बिहार जैसे राज्य में, जहां स्वास्थ्य सेवा गरीबों का एकमात्र सहारा है, वहां दवाओं की कमी, उपकरणों की घटिया गुणवत्ता और अस्पतालों में अव्यवस्था सीधे जानलेवा साबित हो रही है। यह एक विडंबना है कि जिस संस्थान को स्वास्थ्य सुधार की उम्मीद के रूप में बनाया गया था, वही अब आम जनता के लिए पीड़ा का कारण बन गया है।

BMSICL के हालिया कार्यों में यह देखा गया कि निविदा प्रक्रिया को मनमाने ढंग से बदला गया ताकि कुछ कंपनियों को लाभ मिले। उदाहरण के लिए, निविदा संख्या BMSIC/DRUGS/25-12 में EMD जमा करने की अंतिम तिथि दीपावली के दिन रखी गई। त्योहार के कारण कई दवा कंपनियाँ बंद रहती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा घटती है और ऊँची दरों पर निविदाएँ पास होती हैं। इसी तरह, निविदा संख्या BMSICL/2023-24/ME-317 में मेडिकल वेस्ट स्टेरलाइजेशन उपकरणों की खरीद में कोरिजेंडम-1 जारी कर मूल शर्तें बदल दी गईं, जिससे एक निजी कंपनी S.S. Medical Systems को अनुचित लाभ मिला। इससे राज्य को लगभग 75 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय नुकसान हुआ। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पारदर्शिता के नाम पर स्थापित यह संस्था अब 'कमीशन संस्कृति' की प्रयोगशाला बन चुकी है।

वर्तमान में बीएमएसआईसीएल के MD नीलेश रामचंद्र देवरे, मुख्य महाप्रबंधक आपूर्ति श्रृंखला कुमारी सीमा ने दिनांक-16/10/25 को S.S. Medical System (I) Pvt. Ltd को 84 करोड़ 11 लाख रुपए का क्रय आदेश निर्गत किया इसमें जीएसटी चार्ज अलग से है। इस पत्र के साथ संलग्न चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा की क्रय आदेश में बिहार के राज्य कोषागार को 75 करोड़ 90 लाख 37500 का नुकसान हुआ है और जीएसटी का नुकसान अलग से है, अगर अभी तक के क्रय आदेश को जोड़ लिया जाए तो कम से कम बिहार जैसे गरीब राज्य को 100 करोड़ रुपयों से अधिक का नुकसान हो चुका है। इस क्रय आदेश में मांग से अधिक का क्रय आदेश ही नहीं बनवाया गया, जरूरत से अधिक का कृत्रिम मांग भी बनवाया गया है।

श्री देवरे पर आरोप है कि उन्होंने BMSICL में जातीय गुटबाजी को बढ़ावा दिया। कुछ कर्मचारियों और सप्लायरों को विशेष लाभ

बीएमएसआइसीएल के एमडी कोर्ट में हों हाजिर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : बिहार चिकित्सा सेवा एवं अवसंरचना निगम (बीएमएसआइसीएल) की ओर से दीपावली से लेकर छठ पूजा के बीच में औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए ई. निविदा आमंत्रित करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम (पश्चिमी) के कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसमें बीएमएसआईसीएल पटना के मैनेजिंग डायरेक्टर निलेश रामचंद्र देवड़े, प्रबंधक हरेंद्र राम और मुख्य प्रबंधक सप्लाई चेन की सीमा कुमारी को अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर को सदेह उपस्थित होने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार को मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट यथाशीघ्र समर्पित कराने का निर्देश दिया गया है।

18 दिसंबर को सदेह हाजिर होने को कहा, मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक को भी उपस्थित होने का मिला आदेश

औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए दीपावली से छठ के बीच ई. निविदा आमंत्रित कराने को लेकर कोर्ट में दायर है परिवाद

गौरतलब है कि सदर थाना के लहलादपुर पताही निवासी सुधीर कुमार ओझा ने बीएमएसआइसीएल पटना के उक्त अधिकारियों पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद किया था। परिवाद में कहा कि 20 अक्टूबर को पूजा का सामान खरीदने के दौरान करजा के पकड़ी पकोही चौक रेवा रोड में आरोपित की ओर से निर्गत व आदेशित दो पत्र पढ़ा।

इसमें जानबुझकर बीएमएसआइसीएल की ओर से औषधियों की अधिप्राप्ति के लिए ई. निविदा दीपावली से छठ के बीच आमंत्रित की गई थी। आरोप लगाया कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने व फर्जीवाड़ा करने व हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह तिथि निर्धारित की गई थी। इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा।

पहुंचाने के लिए पदों का दुरुपयोग किया गया। ऐसी घटनाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता सिद्धांत का उल्लंघन हैं। इससे सामाजिक असंतुलन और प्रशासनिक अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां पहले से जातीय विभाजन की संवेदनशीलता है, ऐसे मामले समाज में और दरार पैदा करते हैं।

BMSICL के भीतर जातीय गुटबाजी और पक्षपात की जड़ें गहरी हैं। CGM (सप्लाई चेन) सुश्री सीमा कुमारी, असिस्टेंट मैनेजर नितिन कुमार जैसे लोगों के बीच असामान्य नजदीकी प्रशासनिक नैतिकता पर प्रश्न उठाती है। इन पर आरोप है कि फाइलें क्लियर करने के लिए कमीशन तय दरों पर लिया जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइल पर 0.5%, ड्रग फाइल पर 0.25% और इक्विपमेंट फाइल पर 1% तक। यह सब संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और प्रशासनिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। ऐसी प्रवृत्तियाँ न केवल योग्य लोगों को हाशिये पर डालती हैं बल्कि समाज में यह संदेश देती हैं कि 'काबिलियत नहीं, संपर्क सफलता की कुंजी है।'

PMCH में कथित तौर पर दिए गए आपत्तिजनक वक्तव्य– "बिहारी साला चूतिया होता है" न केवल बिहार की अस्मिता का अपमान है बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के आचरण नियमों का भी उल्लंघन है। ऐसे वक्तव्य क्षेत्रीय घृणा और विभाजन को बढ़ावा देते हैं। बिहार की धरती, जिसने डॉ. राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं को जन्म दिया, उनके आदर्शों पर यह चोट है।

श्री देवरे की संपत्ति घोषणा में भी अनियमितताएं पाई गईं हैं। जमीनों के वास्तविक मूल्य को कम दिखाया गया और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से सांठगांठ के आरोप लगे हैं। ऐसी हरकतें न केवल आर्थिक अपराध हैं

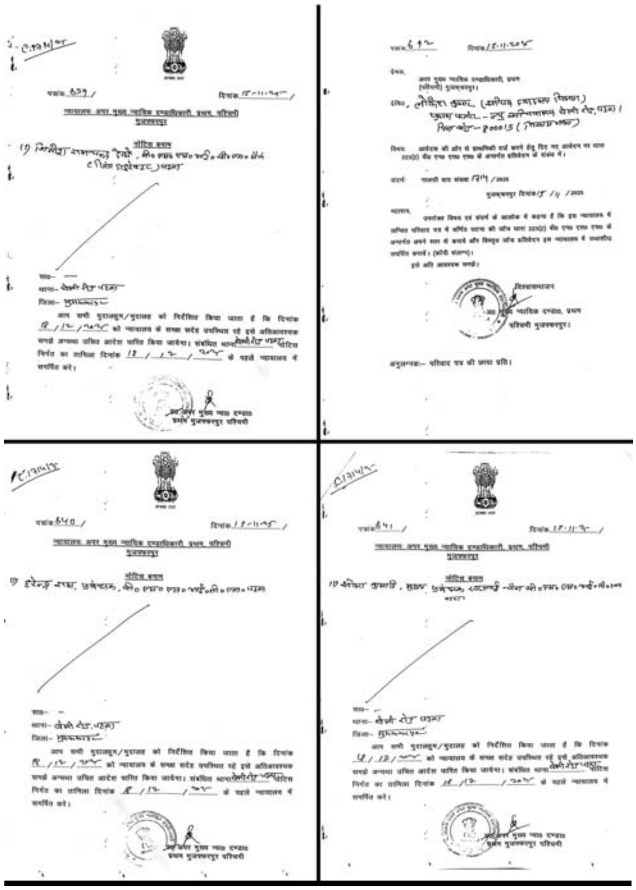

Bihar Medical Service & Infrastructure Corp. Ltd
2nd & 3rd Floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Adjacent to State Health Society,Patna-800014, Bihar

Firmwise Detailed Report
For category : All , Supplier : , Supplier PO Status : All
(From 15-Oct-2025 To 17-Oct-2025)

S. No.	PO No. & Date	Item Name	Programme Name	Rate/Unit	Inactive Qty.	% of Overall Supply	% of Unusable Supply	District	PO Qty. (No.)	PO Value (Rs.)	Total Recieved Qty (No.)	Total Recieved Value (Rs.)
Firm Name : S S Medical System India Pvt. Ltd.												
1	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	6250	96812500.00	0	0.00
2	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	6250	96812500.00	0	0.00
3	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	5000	77450000.00	0	0.00
4	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 75L [S0486][NON-EDL]	Normal	15490.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	7500	116175000.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	25000.00	387250000.00	.00	.00
5	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	300000	20700000.00	0	0.00
6	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	200000	13800000.00	0	0.00
7	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	250000	17250000.00	0	0.00
8	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-45L [S0483][NON-EDL]	Normal	69.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	250000	17250000.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	1000000.00	69000000.00	.00	.00
9	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	300000	29400000.00	0	0.00
10	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	250000	24500000.00	0	0.00
11	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	250000	24500000.00	0	0.00
12	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	Customized Biodegradable Bags-75L [S0484][NON-EDL]	Normal	98.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	200000	19600000.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	1000000.00	98000000.00	.00	.00
13	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Patna-Rwh	7500	86055000.00	0	0.00
14	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Purnia-Rwh	5000	57370000.00	0	0.00
15	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Muzaffarpur-Rwh	6250	71712500.00	0	0.00
16	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	Bins for Microwave 45L [S0485][NON-EDL]	Normal	11474.00 No.	0.00	0	0	Bihta-Rwh	6250	71712500.00	0	0.00
								PO Wise Group Total :	25000.00	286850000.00	.00	.00
								Firm Wise Group Total :	2050000.00	841100000.00	.00	.00
								Grand Total :	2050000.00	841100000.00	.00	.00

बल्कि सामाजिक नैतिकता और पारदर्शिता की नींव को कमजोर करती हैं।

श्री निलेश रामचंद्र देवरे (IAS) हमेशा ही विवादित आईएएस अधिकारी के रूप में रहे हैं, इनका व्यवहार बिहारी के प्रति हमेशा ही गलत रहा है वह जहां भी जिलाधिकारी के रूप में रहे हैं, वहां उन्होंने बिहारी अस्मिता और बिहारी को नुकसान पहुंचाया है। श्री निलेश रामचंद्र देवरे (IAS) जिस पद पर रहे हैं भ्रष्टाचार के हर सीमा को उन्होंने तोड़ दिया है। श्री देवरे ने 2024-25 में जो अपना असेट्स डिक्लेरेशन दिया है उसमें भी कई त्रुटि है। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम Saee S लिखा है जो कि अपने आप में एक कहानी बयाँ करती है। पत्नी के नाम पर डिक्लेरेशन में लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी का कोई जॉइंट इनकम या प्रॉपर्टी नहीं है, यह नियम का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने अपने इमूवेबल एसेट में ग्राम-तामसवारी, जिला-धुले महाराष्ट्र और ग्राम-हारताली, जिला-सतना, महाराष्ट्र के जमीन का काम मार्केट वैल्यू दिखाया है। उनका जमीन का पूरा लीगल पेपर हम इस पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं। उन्होंने अपने दोनों जमीन के वर्तमान मार्केट प्राइस लगभग 15 लाख बताया है, जबकि इस जमीन का वास्तविक मार्केट प्राइस 4 करोड़ से भी ऊपर का है। इसलिए इनका असेट्स डिक्लेरेशन पूरी तरह से फर्जी और गैरकानूनी है।

श्री देवरे ने 50 लख रुपए लेकर श्री बालाजी टेस्ट लैब को काली सूची में दर्ज नहीं किया जबकि NABL ने उसे 23 मार्च 2025 को उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। BMSICL के निविदा संख्या- BMSICL/QC/01/2023 के शर्त संख्या-18- (b) Proficiency testing of samples will be done on random basis in other laboratories or Govt- Laboratories of and any discrepancy of reports will be taken as nonperformance- For each such instance of nonperformance] no bills for performing the

COMPARATIVE CHART(BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL,COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL,COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL,BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL) BMSICL VALUE Vs MARKET PRICE

S. NO	PO No. & Date	Item Name	BMSICLRate/Unit	AVERAGE PRICE E	Budget Supplies Pvt. Ltd. B	MedEquip Traders	HealthTech Solutions Pvt. Ltd. C	ARV Supplies D	MARKET PRICE ExG	RWH	BMSICL ORDER Quantity (P.O.)G	PO VALUE (RS.)
	Firm Name : S S Medical System India Pvt. Ltd											
1	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	9687500	Bihata	6250	96812500
2	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	9687500	Muzaffarpur	6250	96812500
3	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	7750000	Purnia	5000	77450000
4	10282502173(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/342) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 75L [D0486] NON-EDL	15490	1,550	1,200	1,600	2,000	1,400	11625000	Patna	7500	116175000
							PO WISE GROUP TOTAL		38750000		25000	387250000
1	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1725000	Patna	300000	20700000
2	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1150000	Purnia	200000	13800000
3	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1437500	Muzaffarpur	250000	17250000
4	10282502174(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/343) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-45L [S0483] NON-EDL	69	5.75	6	5.5	4.5	7	1437500	Bihata	250000	17250000
							PO WISE GROUP TOTAL		5750000		1000000	69000000
1	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	2550000	Patna	300000	29400000
2	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	2125000	Bihata	250000	24500000
3	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	2125000	Muzaffarpur	250000	24500000
4	10282502175(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/344) 16-Oct-2025	COSTOMIZED BIODEGRADABLE BAGS-75L [S0484] NON-EDL	98	8.5	9	8	7	10	1700000	Purnia	200000	19600000
							PO WISE GROUP TOTAL		8500000		1000000	98000000
1	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	8718750	Patna	7500	86055000
2	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	5812500	Purnia	5000	57370000
3	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	7265625	Muzaffarpur	6250	71712500
4	10282502172(BMSICL/SURGICAL/2025-2026/341) 16-Oct-2025	BINS FOR MICROWAVE 45L [D0485] NON-EDL	11474	1162.5	950	1,200	1,500	1,000	7265625	Bihata	6250	71712500
							PO WISE GROUP TOTAL		29062500		25000	286850000
							FIRM WISE GROUP TOTAL		82062500		2050000	841100000
							GRAND TOTAL		82062500		*2050000*	841100000

BMSICL TOTAL ORDER VALUE	
84,11,00,000	WITHOUT GST
MARKET PRICE TOTAL VALUE	
82062500	WITHOUT GST
DEFERANCE	
[redacted]	WITHOUT GST
Seventy-five crore, ninety lakh, thirty-seven thousand, five hundred Only.	
Rupees:- 759037500.00 (Seventy Five Crore Ninety Lakh Thirty Seven Thousand Five Hundred Only) SCAM	

Eighty Two Crore Sixty Two Thousand Five Hundred Only.

Eighty-four crore, eleven lakh Only.

tests will be paid to the testing laboratory- For three such non performances in each year of the contract period] 25» of the security deposit will be deducted- For every subsequent nonperformance in each year 10» each of the security deposit will be deducted- If such non performances eñceed siñ during in each year of the contract period] the testing laboratory will be removed from the empanelment and black listed for a period of 2(two) years के अनुसार अगर 6 बैच का रिपोर्ट गवर्नमेंट लैब रिपोर्ट से नहीं मैच खाता है तो उसे नॉन परफॉर्मेंस कहा जाएगा। उसे अगले दो वर्षों के लिए Empanelment से हटा दिया जाएगा और नियम (c) If it is revealed that drug testing Laboratory is involved in any form of fraud and collusion with the suppliers of BMSICL, the drug testing laboratory will be blacklisted

बीएमएसआईसीएल के एमडी सहित तीन अधिकारियों को सदेह हाजिर होने का आदेश

दवा खरीद के लिए दिवाली के दिन टेंडर निकालने की होगी जांच

नोटिस जारी

- खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने को दिवाली के दिन ई-निविदा निकालने का आरोप
- परिवाद के आधार पर सीजेएम ने स्वास्थ्य सचिव को भेजा पत्र
- अधिवक्ता सुधीर ओझा ने सीजेएम कोर्ट में अक्टूबर में दाखिल किया था परिवाद

क्या है बीएनएनएस की धारा 223(2)

जब किसी सरकारी संस्थान व अधिकारियों पर न्यायालय में कोई आरोप लगाया जाता है तो कार्रवाई से पूर्व इस धारा के तहत संबंधित अधिकारी और उनके विभागाध्यक्ष का पक्ष लिया जाता है। यह कानून किसी भी सरकारी कर्मी को नाजायज मुकदमों से बचाने को लेकर सुरक्षा प्रदान करता है। आरोपित अधिकारियों के जवाब और संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की जांच रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय कार्रवाई का निर्णय लेता है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दवा खरीद मामले में बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि. (बीएमएसआईसीएल) पर लगे आरोप की जांच स्वास्थ्य सचिव करेंगे। बीएमएसआईसीएल ने दिवाली के दिन करोड़ों रुपये की दवा खरीद का ई-टेंडर निकाला था। आरोप है कि खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए त्योहार के दिन टेंडर निकाला गया था।

मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने परिवाद की प्रति के साथ मामले की जांच कर रिपोर्ट समर्पित करने के लिए स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार को पत्र भेजा है। इसके साथ ही बीएमएसआईसीएल के एमडी निलेश रामचंद्र देवड़े, प्रबंधन हरेंद्र राम और मुख्य प्रबंधक सप्लाई सीमा कुमारी को न्यायालय में 18 दिसंबर को सशरीर हाजिर रहने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस की ससमय तामिला का पटना के बेली रोड थानेदार को आदेश दिया गया है।

इस संबंध में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बीते 29 अक्टूबर को न्यायालय में परिवाद दायर कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिवाली के दिन (20 अक्टूबर, 2025) को बीएमएसआईसीएल की ओर से बड़े पैमाने पर दवा खरीद के लिए ई-टेंडर जारी किया गया। जबकि दिवाली पर तमाम सरकारी कार्यालय ना केवल बंद रहता है, बल्कि तमाम लोग पर्व पर व्यस्त रहते हैं। इस तरह का टेंडर निकालने के पीछे मंशा किसी खास एजेंसी को लाभ पहुंचाना ही है। साथ ही इस टेंडर से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सीजेएम कार्यालय से स्वास्थ्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि इस परिवाद में लगाए गए आरोपों को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223(2) के तहत जांच कर रिपोर्ट समर्पित करें। ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके।

for Five (5) years के तहत 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। श्री बालाजी टेस्ट लैब का 30 से ज्यादा रिपोर्ट मिसमैच हुआ है और कंपनी ने APPLE फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड से पैसा नहीं मिलने के कारण उसका 35 बैच फेल कर दिया उसका भी प्रमाण इस पत्र के साथ संलग्न है। श्री बालाजी टेस्ट लैब ने APPLE फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड का कई बैच जानबूझकर फेल कर दिया और CDL ने उसे पास कर दिया जिससे उसका फ्रॉड साबित होता है, लेकिन श्री देवरे की कृपा होने के कारण श्री बालाजी टेस्ट लैब PVT. LTD. का बाल भी बांका नहीं हो सका।

बीएमएसआईएल में खुद राज्य क्रय संगठन है। श्री देवरे ने अपनी मनमानी करने के लिए की निविदा प्रकाशित की -NIT No.--BMSICL/INFRA/34/2025 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का परफॉर्मेंस सपोर्ट आफ मेडिकल इक्विपमेंट ऑफ बिहार जिसमें उन्होंने शर्त संख्या-20. 4, 20.5, 20.6 और 20.7 में ऐसी नियम शर्तें रखी हैं कि उनकी मनचाही कंपनी का ही सिलेक्शन इसमें हो पाए और उनकी मनमानी चलती रहे और निविदा में ज्यादा से ज्यादा कमीशन देने वाले को निविदा के लिए सिलेक्ट

निलेश रामचंद्र देवरे

सी.आर. पाटिल

प्रत्यय अमृत

कर सकें और उनको क्रय आदेश दे सके।

श्री देवरे का कहना है कि BMSICL निविदा संख्या -BMSIC/DRUGS/ 2022-24 जो QCBS सिस्टम में RODIAC कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और निविदा संख्या -BMSICL/ME-347-BMSICL /2024-25 ME-277 QCBS सिस्टम के तहत क्विक क्लीन प्राइवेट लिमिटेड को निविदा दिया गया यह दोनों कंपनी वर्तमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की कंपनी है अगर मेरे विरुद्ध जांच हुआ तो मैं भी इन दोनों कंपनियों का पेपर सारे विरोधियों को दे दूंगा और साथ ही मीडिया में बांट दूंगा। साथ ही ये बोलते हैं की हम देश के प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्री सी. आर. पाटिल के दामाद हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

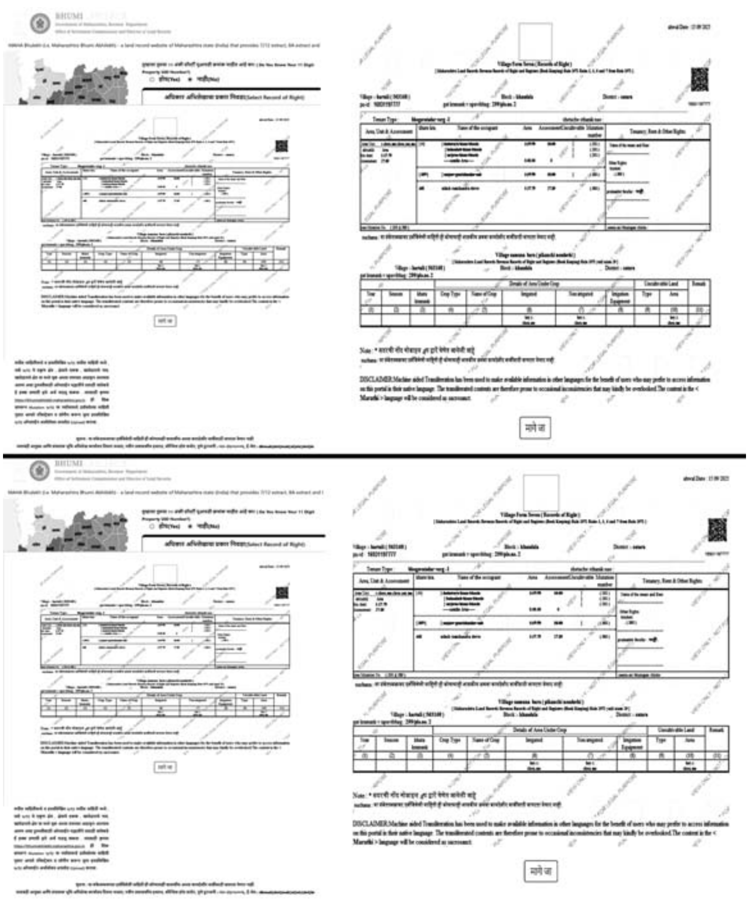

BMSICL के प्रबंध निदेशक की संपत्ति घोषणा में भारी विसंगतियाँ पाई गई है। उन्होंने महाराष्ट्र स्थित संपत्तियों के मूल्य को कम बताया और अपनी पत्नी के नाम से संयुक्त संपत्तियों को छिपाया। साथ ही ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से सांठगांठ के आरोप लगे हैं, जिनके बदले कथित रूप से लाखों रुपये की रिश्वत ली गई। यह स्पष्ट संकेत है कि नौकरशाही में 'Conflict of Interest' की संस्कृति गहराई तक जड़ें जमा चुकी है।

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है, यह सामाजिक कुरीतियों को जन्म देता है। जातिवाद, पक्षपात, और ब्यूरोक्रेटिक अहंकार जैसे तत्व प्रशासन को जनता से दूर कर देते हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में फैली यह सड़ांध गरीबों की मौत का कारण बन रही है। यह एक सामाजिक विडंबना है कि जिस राज्य ने समाज सुधार की मिसालें कायम कीं, वहीं आज भ्रष्टाचार और अनैतिकता की गिरफ्त में है।

सर्वोच्च न्यायालय ने A.K. Kraipak vs Union of India (1969) और Tata Cellular vs Union of India (1994) के मामलों में यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक निर्णय 'Fairness in Action' के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। BMSICL की घटनाएँ इन सिद्धांतों के उल्लंघन का उदाहरण हैं। साथ ही, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 38 (राज्य की सामाजिक न्याय नीति) इन सभी घटनाओं से प्रभावित होते हैं।

BMSICL के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, यह सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। CBI, Vigilance या ED जैसी एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच इस समय की आवश्यकता है। साथ ही, हमें सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-टेंडरिंग, थर्ड-पार्टी ऑडिट और जनता की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा। समाज को भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि चुप रहना भी अपराध है। बिहार की ऐतिहासिक विरासत, जयप्रकाश नारायण की 'संपूर्ण क्रांति' हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन की मशाल हमारे भीतर से ही जलती है।●

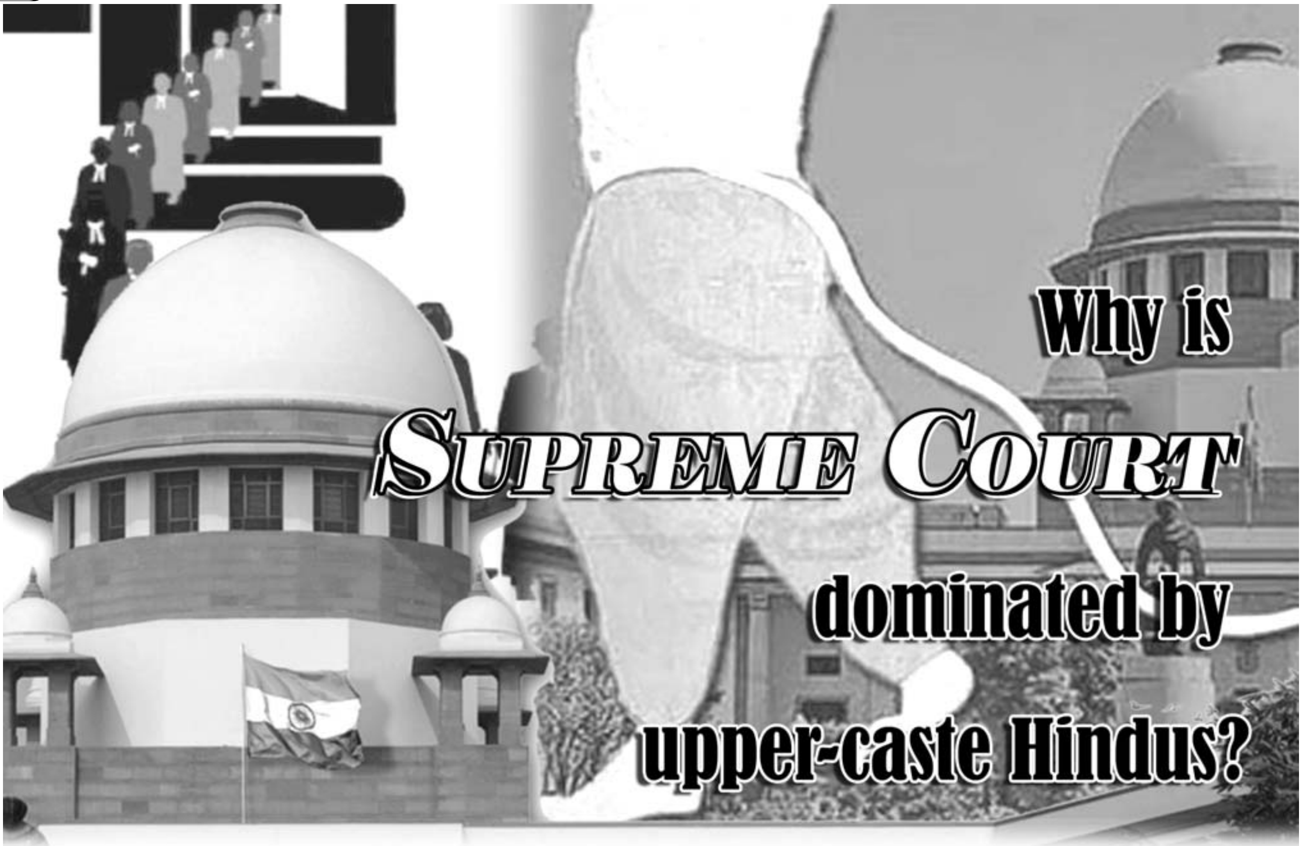

Over the last six months, India's highest court has been headed by a man who hails from one of the most discriminated-against communities in India.

Chief Justice Bhushan Ramakrishna Gavai, who is set to retire on November 23, briefly gave the country a rare sight — a person with Dalit heritage in power. Dalits belong to the lowest strata in a complex caste system in India's society, which has its roots in the dominant religion of Hinduism. The caste, once referred to as "untouchables," still faces discrimination and violence in the country.

Gavai's father was a prominent leader in the Dalit community who converted to Buddhism before Gavai was born. Justice Gavai too is a practicing Buddhist. Throughout his career, he acknowledged his Dalit identity and stated that affirmative action helped him reach the top of the Supreme Court. To this day, Gavai is the first Buddhist and second Dalit to serve as its chief justice. Despite Gavai's rise, women and members of disadvantaged communities still battle historic disadvantages, favoritism and gender discrimination when trying to advance their careers. DW looked at the diversity in India's apex court, which remains one of the strongest independent institutions in the country, taking into account judges' gender, religion and caste.

What does data show?

With the Supreme Court not providing official data on the caste identity of its members, not all judges' caste and religious status could be determined with absolute certainty. However, our analysis indicates that — out of the 33 judges who will remain post Gavai's retirement — at least 12 are Brahmins, belonging to the highest caste in Hinduism. This community is only 4% of India's population, according to a 2020 survey conducted by Pew Research Center. In the Supreme Court, they make up 36% of the judges. With another eight judges belonging to other upper castes, the privileged Hindu strata make up more than 60% of the court.

In stark contrast, the court will only have one Dalit after Gavai's exit and no one from the group which India officially designates as Scheduled Tribes (STs). This includes Indigenous communities who are seen as historically marginalized and are eligible for special protections under India's constitution. Together with Dalits, they account for 35% of the Indian population.

Five judges hail from Other Backward Classes (OBCs). These are also communities identified by the Indian state as socially and educationally

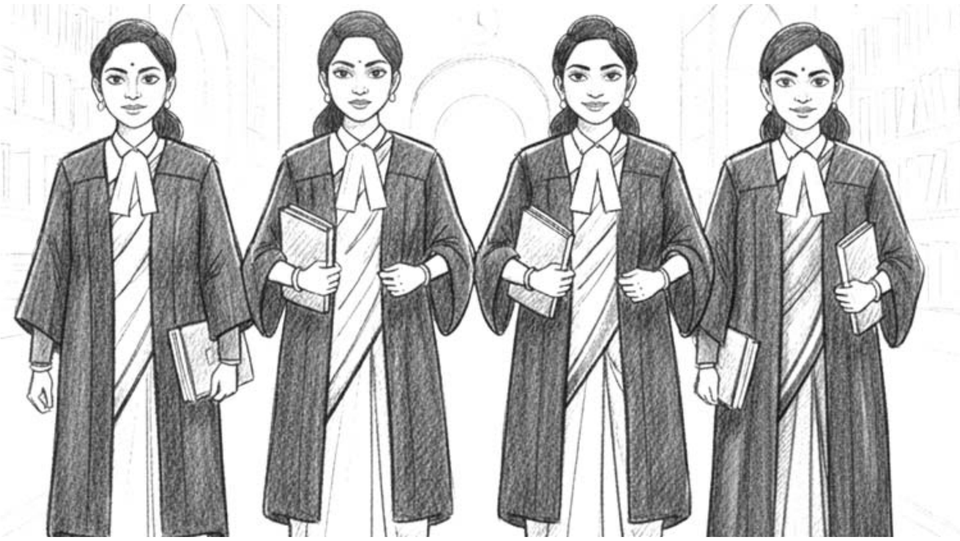

Court are typically in their late 50s.

'Things have vastly improved' for female lawyers

Notably, only 15% of Indian lawyers are women, according to a 2022 survey. Rekha Palli, a former High Court Justice of Delhi, says most clients still prefer to be represented by men. "There were only a handful of women with me [in advocacy]. Things have vastly improved now, but women are still getting fewer opportunities," she said.

The judge, who retired in early 2025, also said that not enough female lawyers serve in court-facing roles. "When I talk to young girls as a judge and ask them why they are not arguing, sometimes they complain they are not getting enough [court cases]," which robs them of opportunities to show their qualities in court, she told DW.

Young judges fight for survival

A young judge in

disadvantaged. DW could not determine the caste of three judges. At least four of the judges are from minority religions — one Muslim, one Christian, one Parsi and one Jain. Of the 33 judges, only one, Justice B V Nagarathna, is a woman. That's in a country where roughly 48.5% of the population is female. No woman has ever served as the chief justice.

Shallow pool of diverse candidates

Former Supreme Court justices contacted by DW blame the lack of diversity at the top on a deficient recruitment pool. "More and more women and disadvantaged people are entering the system but the numbers simply aren't high enough," said former Supreme Court Justice Madan Lokur, who served from 2012 to 2018. "Historically, the legal profession has been dominated by males, and mainly by those who are not [from] Scheduled Castes or Scheduled Tribes," he told DW. "Things are definitely changing but the question is, are they changing fast enough?" Several judges also acknowledged that nepotism was still plaguing the Indian judiciary, but insisted that more first-generation lawyers and judges were coming up. Judges climb career ladder for decades to reach Supreme Court In another sign of changing times, 38% of India's district judiciary judges were women as of 2024, compared to 28% just six years before. "I have seen the change take place over the last 15-20 years, it's enormous," said DY Chandrachud, a former Chief Justice of India who retired in November 2024. "The effort we have to make is that the zone of consideration — the pool from which we recruit to the Supreme Court — is itself diverse," said the judge, who is an outspoken advocate for transparency, diversity and individual rights. "They are climbing the ladder."

However, he also noted that career progression was "very slow," meaning that judges reaching the Supreme

northern India, who wished to be named Seema in this article, has to travel hours from her home to hear cases in a lower court. She is the first woman in her family to attain such a prestigious role, but doing her dream job also brought an increasingly bitter struggle.

"I wanted to quit a few years into it. The conditions, the treatment, it gets worse as you move from big cities to small towns," she told DW. "I have been made to serve food to senior judges, bring them tea or coffee," she said, recounting instances of misogyny. "Once, a senior counsel openly said in court, 'What does she know, she's new,'" the judge said.

'Indian judiciary mirrors Indian society'

Talking to DW, former High Court and Supreme Court judges categorically denied witnessing any discrimination in the judiciary. "It would be wrong to say there is any systematic discrimination, let me make that very clear. If you are good, you will be promoted," said Justice Palli. Justice Chandrachud however did not deny that there had been the "odd case of harassment."

"The Indian judiciary mirrors Indian society. So to expect that the Indian judiciary would be perfect in the sense of an absence of any social bias would perhaps be hypocritical," he said. "But there is a robust system for redressal, you can challenge it in front of the high court."

Complaints — a double-edged sword

Seema laughs at the idea of filing an official complaint. "The judiciary is a tightly knit system which runs on contacts. If I complain, I will suddenly face complaints too. And my annual reports will turn sour," she told DW. Annual reports record a judicial officer's yearly performance and conduct. It is one of the key considerations when judges are being promoted. Seema and several other district-level judges DW spoke with, said annual reports were a common tool of leveling "grudges" in the system. A civil judge from a minority group told DW that he faced a corruption charge and was transferred "at the drop of a hat" without an inquiry or his case being heard. "Once there is a complaint, even if it is disproven, you can forget about promotions," he said. "These are all open secrets."

A former Supreme Court justice, requesting to remain unnamed, said he had heard of annual reports being misused but had seen no evidence. He argued the problem was less about personal vendettas and more about helping the careers of the chosen few.

Supreme Court decries caste-based bias

Some widely publicized cases, however, seem to contradict this perspective. In May 2025, The Supreme Court condemned caste-based discrimination within the judiciary in a case where a lower court judge was given mandatory retirement on the basis of sudden dips and upticks in his annual reports.

The Supreme Court later quashed his dismissal, saying "Just because he belongs to a lower caste, he is being targeted. It is a big problem in the high court," according to a Times of India report. While the matter may be considered as evidence of discrimination, former Justice Chandrachud said it also shows that the redressal system was working.

What makes a good Supreme Court justice?

The judges hoping to reach India's apex court have to secure a recommendation from the Supreme Court collegium, made up of the five most senior judges. Their inner deliberations and reasons for considering some names over others are not made public, and rejected candidates have no way to appeal.

Judges Lokur and Chandrachud, who have served on the collegium, said their selection process factors in seniority, quality of judgments, annual reports and integrity, followed by diversity criteria such as geographical origin, personal experiences, caste and religion.

According to Justice Chandrachud, reforms are needed at the entry levels of schools and law firms to create a more diverse pool of candidates. "It's very easy to stand outside the system and throw bricks but it's another thing to actively make change," he said, adding that the existing system does not actively deny promotions based on gender, caste or religion.

"If someone has merit, they will definitely be promoted," said Justice Lokur. As for making the deliberations public, he said, "you have to trust the judges." But not everyone is fully on board with the current selection system.

New mechanism to select justices quashed in Supreme Court

The Indian government, with strong support from the opposition, passed the National Judicial Appointments Commission Bill in 2014, outlining the mechanism to replace the collegium. The judges would instead be selected by a committee which would include the Chief Justice of India, two senior-most judges, the Law Minister and two "eminent" persons not from the judicial background. In 2015, the Supreme Court struck the bill down saying that involvement from non-judicial members would compromise its independence. "Every time anyone questions the higher courts on accountability, they resurrect the independence and merit argument at the cost of transparency. Nothing will change in the system without reforms," said district judge Seema. With Gavai's departure and more justices set to retire in 2026, the Supreme Court will once again have a chance to improve its diversity. But perhaps the key to any systemic change is first admitting that the system needs changing.

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

आक्रामक साजिशों के बीच संविधान की असल ताकत

● **संजय सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार**

26 नवम्बर आज केवल एक तारीख नहीं, आज की तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेजी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही।

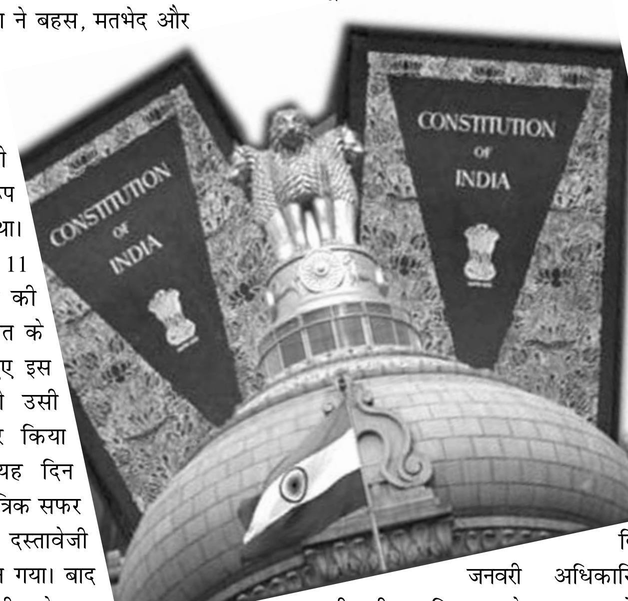

आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना

का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संवैधानिक अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्पुष्टि होती है। राष्ट्रपति जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर जोर देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है।

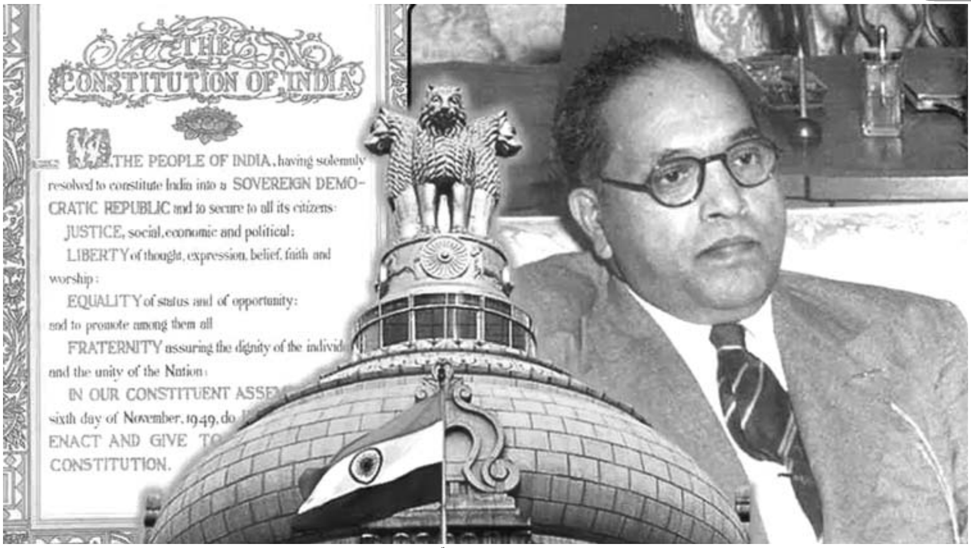

अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई जरूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई। यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की देन था और आज भी

सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमजोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने वोट से जिंदा रखता है।

संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही संविधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है। आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर गूंजता है, तब भी संविधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेंगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बासी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो संविधान किसी भी तानाशाही इरादे को मात दे सकता है। इसी चेतना को जिंदा रखना ही संविधान दिवस का असली उद्देश्य है, और यही वजह है कि इस दिन की राजनीति जितनी गरम होगी, जनता के लिए संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी।●

इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मजबूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला।

44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मजबूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के जरिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाजे पर लोकतंत्र की आवाजाही बढ़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की व्याख्या केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही। इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज

ममता एसआईआर के विरोध के नाम पर दे रही हैं घुसपैठियों का साथ

● अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया का जबर्दस्त विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह प्रक्रिया भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ममता का यह भी आरोप है कि एसआईआर के तहत घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने का नाम लेकर असली वोटरों को भी परेशान किया जा रहा है, जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। इस विरोध के पीछे दो पहलू हैं: एक तो ममता का अल्पसंख्यक वोट बैंक बचाने का प्रयास, और दूसरा पश्चिम बंगाल में चुनावी फायदे की नजर से यह विरोध। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए असम जैसे भाजपा शासित राज्यों में इस प्रक्रिया को लागू न करने की निंदा की है। ममता ने चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को अव्यवस्थित, खतरनाक और बिना तैयारी के बताया है और इसे रोकने की मांग की है।

पश्चिम बंगाल में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को इस प्रक्रिया में काम करने में जो परेशानी हो रही है, वह तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार के एसआईआर विरोध के चलते है। बीएलओ यूनाइटेड फोरम के अनुसार, प्रदेश में बीएलओ को राजनीतिक संरक्षण वाले अपराधी तत्व धमका रहे हैं, जिससे वे अपना काम ठीक से

नहीं कर पा रहे। बीएलओ के लिए उचित सुरक्षा, ट्रेनिंग और प्रशासनिक सहूलियत नहीं मिल रही है; वे अपने स्कूलों में भी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं और उनके ड्यूटी आवंटन में अनियमितता है। इसके अलावा, उन्हें काम का अत्यधिक दबाव, डेटा में त्रुटियां, सर्वर फेलियर जैसी तकनीकी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और बिना कारण बताए डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकियां मिल रही हैं। ममता सरकार की यह रणनीति बीएलओज को भयभीत करके एसआईआर प्रक्रिया को बाधित करने की है, ताकि फर्जी वोटर सूची में

ब ने रह सकें और घुसपैठियों या फर्जी वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया सफल न हो। इस कारण प्रभावी तरीके से केवल पश्चिम बंगाल में ही बीएलओ को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। ममता ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के तहत लगने वाले दबाव और समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि बीएलओ अपने हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के रूप में पुलिस कार्रवाई व अन्य समर्थन नहीं मिल रहा, जिससे बीएलओ और ज्यादा दबाव में हैं।

इस प्रकार, ममता सरकार का एसआईआर विरोध और बीएलओ पर हो रहे दबाव की जड़ में सीधा राजनीतिक हित है। ममता बनर्जी अल्पसंख्यक वोटरों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अपने राजनीतिक प्रभाव को बचाने के लिए इस प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं। बीएलओ, जो घर-घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं, उन्हें दंडित करने, धमकाने एवं उनकी सहायता रोकने की क्रियाएं इस विरोध का हिस्सा हैं। पश्चिम बंगाल में यह स्थिति इसलिए विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि यहां के वोट बैंक में अल्पसंख्यकों का बड़ा हिस्सा है और ममता सरकार उसे खोना नहीं चाहती। कुल मिलाकर, ममता बनर्जी का एसआईआर विरोध घुसपैठियों के वोट को लेकर उनकी चिंता के साथ-साथ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जबकि बीएलओ को इस प्रक्रिया में कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव की वजह से काम करना कठिन हो रहा है, और ममता सरकार इन दबावों और बाधाओं को बढ़ा रही है ताकि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावी न हो सके।●

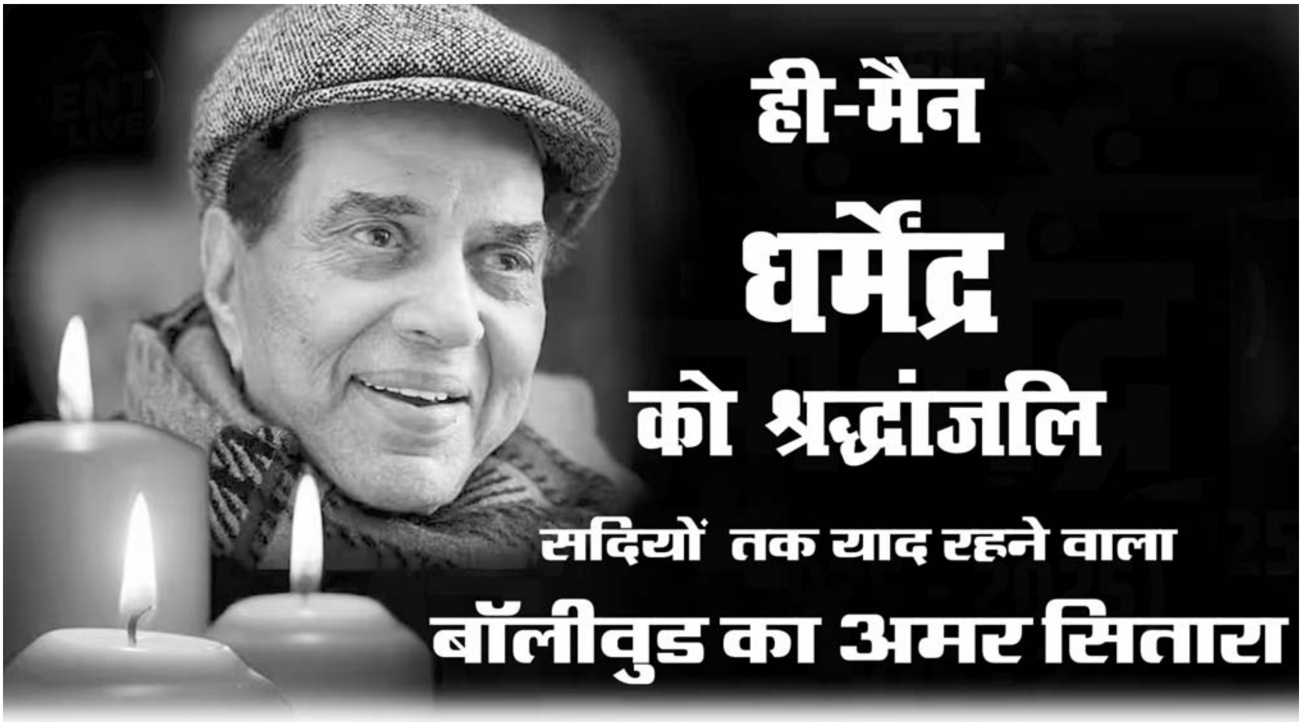

● **अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार**

हिंदी सिनेमा के रूपहले पर्दे पर एक ऐसा नाम जिसने सात दशक तक अपनी चमक से परचम लहराया, वह नाम था धर्मेंद्र। पंजाब की मिट्टी से उठकर बॉलीवुड की सबसे बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले इस अभिनेता ने जो सफर तय किया, वह किसी सपने से कम नहीं। वह सिर्फ सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि ऐसे कलाकार थे जिनके संवाद, जिनकी मुस्कान और जिनकी बहादुरी का अंदाज लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उन्हें ही-मैन कहा गया, ग्रीक गॉड कहा गया, और यही दर्जे उन्हें उनकी प्रतिभा, सरलता और अदम्य हौसले ने दिलाए। आज लाखों-करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में एक टीस है, दुख है और कहीं न कहीं एक मलाल भी। उन्होंने अपने चहेते सितारे को वह विदाई नहीं दे पाई, जिसके वे सच्चे हकदार थे। अंतिम पलों तक अस्पताल से घर तक जो गोपनीयता बरती गई, उसने उनके चाहने वालों को बेचैन रखा। किसी महानायक को विदा देने का अपना एक तरीका होता है।

लोगों को उनकी झलक आखिरी बार देखने का हक होता है। पर इस बार यह हक छिन गया। यही सोचकर हर धर्मेंद्र प्रेमी का दिल भारी है। लेकिन जाने वाले चले जाते हैं रह जाता है उनका काम, उनका प्यार और उनकी अमर कहानी। धर्मेंद्र की कहानी ऐसी ही है। गांव के साधारण लड़के धरम सिंह देओल का मुंबई जाकर धर्मेंद्र बन जाना, और वहां लाखों दिलों पर राज करना। मिनर्वा सिनेमा में एक फिल्म देखते हुए उनके दिल में जो सपना जागा था, उसने पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया। छठीं में पढ़ता एक सीधा-सादा लड़का, जिसे अपने स्कूल में पहली बार किसी से मासूम प्यार हुआ। वही लड़का बाद में भारतीय सिनेमा का सबसे आकर्षक चेहरा बना।

धर्मेंद्र ने अभिनय की शुरुआत उन फिल्मों से की, जिनमें उन्होंने भावनाओं की गहराई और इश्क की सादगी दिखाई। लेकिन असली तूफान तब आया, जब वह ऐक्शन के राजा बन गए। उन्होंने बॉडीबिल्डिंग को बॉलीवुड में नया स्थान दिया। मजबूत कंधे, दमदार आवाज, और सामने खड़ा विलेन हो

या हालात धर्मेंद्र कभी पीछे नहीं हटते थे। शोले में वीरू के किरदार ने पूरे देश को हिला दिया। वह सिर्फ मजाकिया बहादुर ही नहीं थे, बल्कि दोस्ती का सबसे खूबसूरत प्रतीक भी थे। 'बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना'- यह सिर्फ संवाद नहीं था, एक मर्द की असली संवेदनशीलता की पहचान था उनकी फिल्में जैसे मेरा गाँव मेरा देश, यादों की बारात, जुगनू, शालीमार, चरस, द बर्निंग ट्रेन हर दशक में धर्मेंद्र के नाम की गारंटी ही फिल्म की सफलता की गारंटी थी। ऐसा कम होता है कि दो-दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दौर में कोई तीसरा कलाकार उसी दमखम से छाया रहे, पर धर्मेंद्र छाए रहे क्योंकि वह राजनीति और कैंपबाजी से दूर थे। वह किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के चहेते थे। उनके चेहरे पर कभी अहंकार की झलक नहीं आई। जितने बड़े स्टार, उतने ही जमीन से जुड़े इंसान।और जब वह रोमांस करते थे तो पर्दा पिघल जाता था। दर्शक मान लेते थे कि प्रेम इतना ही सहज, उतना ही खरा होता है। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी तो आज भी दिलों में ताजा है। वह रिश्ते में भी उतने ही सच्चे थे, जितने पर्दे पर दिखाई देते थे। उनकी हंसी में पंजाब की मिट्टी की खुशबू थी, उनकी आंखों में जज्बातों की सच्चाई।

समय बदला, दौर बदला, पर धर्मेंद्र की चमक नहीं घटी। जब कई बड़े सितारे अस्सी के दशक में फ्लॉप होने लगे थे, वह तब भी हिट पर हिट देते रहे लोहा, हुकूमत, कातिलों के कातिल जैसी फिल्में इस बात की गवाह हैं। यही कारण था कि उनकी फैन-फॉलोइंग तीन-तीन पीढ़ियों तक फैली। दादा भी उनके दीवाने, बेटा भी और पोता भी।आज जब वह हमारे बीच नहीं हैं, तो लोग टूटे हुए हैं। सोशल मीडिया से गलियों तक बस एक ही सवाल आखिर क्यों उनके अंतिम संस्कार में वह राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला, जिसके वह हकदार थे? क्यों वह चेहरे जिन्हें आखिरी बार देखकर लोग चौन पाते, उन्हें देखने का मौका किसी को नहीं मिला? क्यों ही-मैन को एक गहरे शीशों वाली एंबुलेंस में चुपचाप ले जाया गया? उनके चाहने वालों की पीड़ा यह सोचकर और बढ़ जाती है कि उनकी अंतिम यात्रा चुपके से पूरी हो गई, जबकि वह पूरी दुनिया के नायक थे। पर शायद उनका परिवार नहीं चाहता था कि उनका आखिरी दृश्य भीड़, शोर और अफरातफरी में बदले। धर्मेंद्र जिंदगी भर शोहरत में रहे, शायद जाना उन्होंने सादगी से चाहा। फिर भी दिल तो फैंस का ही होता

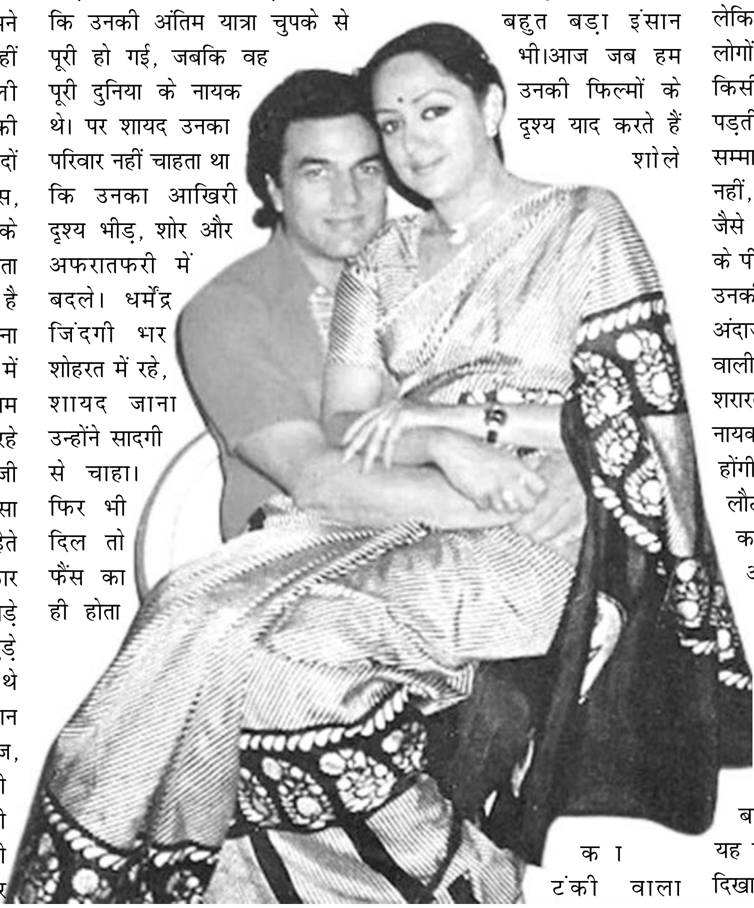

है, उसकी उम्मीदें हमेशा कुछ और चाहती हैं। धर्मेंद्र की जिंदगी में जितने चकाचौंध वाले दिन थे, उतनी ही भावुक यादें भी थीं। वह अपने स्कूल, अपनी मिट्टी, अपने साहनेवाल को कभी नहीं भूले। जब भी जाते, बचपन के दोस्तों से मिलते, अपने पिता की पुरानी कुर्सी देखकर भावुक हो जाते। यह वही धर्मेंद्र थे सुपरस्टार भी और बहुत बड़ा इंसान भी।आज जब हम उनकी फिल्मों के दृश्य याद करते हैं शोले का टंकी वाला वीरू, चुपके- चुपके का विनम्र प्रोफेसर, मेरा गाँव मेरा देश का बदला लेने वाला हीरो तो महसूस होता है, यह कलाकार कभी बुजुर्ग नहीं हुआ। वह हमेशा जवान रहा, हमेशा जिंदादिल रहा। यह विडंबना ही है कि जिसे दुनिया ने हाथों-हाथ सिर पर बैठाया, उसी दुनिया से उनका अंतिम मिलन अधूरा रह गया। लेकिन यह अधूरापन ही उनके प्रति लोगों का सच्चा प्रेम है। जब जनता किसी कलाकार के जाने पर रो पड़ती है तो यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। उन्हें सलामी बंदूकों से नहीं, करोड़ों दिलों से मिली। धर्मेंद्र जैसे सितारे मरते नहीं, वे सिर्फ पर्दे के पीछे चले जाते हैं। उनकी आवाज, उनकी हंसी, उनके संवाद, उनका अंदाज हमेशा जिंदा रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी जब वीरू की शरारतें देख हसेंगी, जब गांव के नायक को बंदूक थामे देख रोमांचित होंगी तब धर्मेंद्र फिर से परदे पर लौट आएंगे। आज हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि धरम जी, आपने हमें प्यार, हिम्मत और सादगी सिखाई। आप चले गए, पर हम आपको भूल नहीं पाएंगे और आपकी विरासत सदियों तक जिंदा रहेगी। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। अफसोस यह है कि हम आपको आखिरी बार देख भी न पाए, पर विश्वास यह है कि आप हर दिल में हमेशा दिखाई देंगे।●

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि
(अधिवक्ता)
Ph.- 9308454485
7004408851
E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

✯ महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कानून कौन-कौन से हैं?

भारत में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जो उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनको समाज में समानता दिलाने का प्रयास करते हैं, जिनके तहत महिलाओं के लिए संविधान में अधिकार दिये गये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को समानता, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण और समान अवसर का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 15 (3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं।

✯ महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानून है?

☞ **घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 :-** महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है।

☞ **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 :-** कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत का अधिकार।

☞ **दहेज निषेध अधिनियम, 1961 :-** दहेज जैसी कुप्रथा से महिलाओं की रक्षा।

☞ **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 :-** कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था में लाभ, छुट्टियाँ और सुरक्षा।

❖ **संपत्ति और उत्तराधिकार :-**

☞ **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 :-** हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार/मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986: मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद संपत्ति और भरण-पोषण का अधिकार।

❖ **अन्य महत्वपूर्ण कानून :-**

☞ **समान वेतन का अधिकार (1976) :-** महिलाओं को समा समान वेतन का अधिकार मिलता है। गर्भावस्था में लाभ, छुट्टियाँ और सुरक्षा, संपत्ति और उत्तराधिकार।

☞ **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 :-** हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार।

☞ **मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 :-** मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद संपत्ति और भरण-पोषण का अधिकार।

☞ **अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 :-** महिलाओं के अभद्र चित्रण के खिलाफ सुरक्षा।

☞ **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 :-** महिलाओं के अधिकारों की निगरानी के लिए आयोग।

☞ **महिलाओं के कानूनी अधिकारों का महत्व :-** इन कानूनी प्रावधानों और अधिकारों का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समानता दिलाना है, ताकि वे समाज में सुरक्षित और सशक्त महसूस करें।

✯ भारत में घरेलू हिंसा के लिए शिकायत कैसे दर्ज कराएं?

भारत में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं :-

☞ नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत दें। शिकायत में हिंसा के सभी विवरण जैसे कब, कहां, कैसे हुए, विस्तार से बताएं। यदि शरीर पर चोट के निशान हों तो मेडिकल प्रमाणपत्र (मेडिकल रिपोर्ट) लेना जरूरी है और इसे शिकायत के साथ जमा करें। पुलिस को आपकी शिकायत पर प्राथमिकी (फिर) दर्ज करनी होगी।

☞ महिला हेल्पलाइन नंबर 181 (राष्ट्रीय महिला आयोग की) या 1091 (स्थानीय महिला हेल्पलाइन) पर कॉल कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये 24 घंटे उपलब्ध हैं।

☞ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत जिले में नियुक्त संरक्षा अधिकारी (प्रोटेक्शन ऑफिसर) से संपर्क करें जो आपकी शिकायत दर्ज करेंगे और कानूनी प्रक्रिया में मदद करेंगे।

☞ आप चाहें तो परिवार न्यायालय में शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, आर्थिक राहत आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

☞ शिकायत के दौरान प्रमाण जुटाएं जैसे चिकित्सा रिपोर्ट, फोटो, वीडियो, साक्षी आदि ताकि मामला मजबूत रहे।

☞ यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे, तो वरिष्ठ अधिकारियों या महिला आयोग से संपर्क किया जा सकता है।

☞ विभिन्न गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और वन स्टॉप सेंटर भी पीड़ित महिला को काउंसलिंग और कानूनी मदद प्रदान करते हैं।

इस प्रकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करना सहज प्रक्रिया है जिसमें पुलिस, महिला आयोग, हेल्पलाइन नंबर, संरक्षण अधिकारी और न्यायालय सभी शामिल हैं। इससे महिलाओं को संरक्षण और न्याय दिलाने में मदद मिलती है।

✯ घरेलू हिंसा के लिए संरक्षण आदेश कैसे और कहाँ मिलते हैं?

भारत में घरेलू हिंसा के लिए संरक्षण आदेश (प्रोटेक्शन ऑर्डर) घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला कानूनी उपकरण है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से प्राप्त किया जाता है। इसे पाने के लिए महिला को सबसे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी होती है जो घरेलू हिंसा करता है, जैसे पति या परिवार के अन्य सदस्य। इसके बाद, महिला कोर्ट में संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करती है, जिसमें घरेलू हिंसा के सभी विवरण और खतरे की स्थिति बताई जाती है। संरक्षण आदेश मिलने के बाद, कोर्ट उस व्यक्ति को घरेलू हिंसा करने से रोकेगा, पीड़ित से दूरी बनाए रखने का आदेश देगा, पीड़ित के घर, कार्यालय या बच्चों के स्कूल के पास आने से रोकेगा, पीड़ित से संपर्क करने से मना करेगा, संबंधित संपत्ति के संबंध में भी आदेश दे सकता है। अगर संरक्षण आदेश का उल्लंघन होता है, तो महिला पुलिस में शिकायत कर सकती है और कोर्ट द्वारा संबंधित व्यक्ति के संबंध में भी आदेश दे सकता है। अगर संरक्षण आदेश का उल्लंघन होता है, तो महिला पुलिस में शिकायत कर सकती है और कोर्ट द्वारा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। संरक्षण आदेश के लिए आवेदन नजदीकी परिवार न्यायालय या मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया जाता है। इसके लिए घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत और सहायक सबूत जैसे मेडिकल रिपोर्ट, गवाह इत्यादि जरूरी होते हैं। संरक्षण आदेश के साथ-साथ निवास आदेश और भरण-पोषण से संबंधित अन्य कानूनी सहायता भी अदालत से प्राप्त की जा सकती है। सरकारी संरक्षण अधिकारी (प्रोटेक्शन ऑफिसर) भी पीड़ित महिला को आवेदन प्रक्रिया और अन्य कानूनी सहायता में मदद करते हैं। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 181 और वन स्टॉप सेंटर आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार, संरक्षण आदेश महिला को घरेलू हिंसा से तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है और उसका कानूनी अधिकार है कि वह इसे आसानी से प्राप्त कर सके।

आवश्यकता

अगर आप में है आत्मविश्वास और तीव्र इच्छा, तो मौका है इसे पूरा करने का....

बिहार की सबसे लोकप्रिय पत्रिका

केवल सच

और

केवल सच TIMES

को बिहार के हर जिले, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि (डोर टू डोर मार्केटिंग) एवं प्रसार के कार्य के लिए परिश्रमी एवं जुझारू युवक/युवतियों की आवश्यकता है।

योग्यताः-

जिला ब्यूरो	प्रखंड संवाददाता	पंचायत संवाददाता	विज्ञापन प्रतिनिधी
स्नात्तक उतीर्ण	स्नात्तक/इंटर	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक	स्नात्तक/इंटर/मैट्रिक

संपर्क करेः-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, कंकड़बाग
पटना-20, मो.- 9431073769, 9955077308

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD. Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008